सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी /
सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृषि निदेशालय के पत्रांक–4815 / स्था0 / सू0अ0अधि0 / पत्रा0सं0–80 / 2026–27 दिनांक 27.10.2026 के द्वारा श्री हिमांश पपने का आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन सं0– DAUKD/R/2026/60031 दिनांक 20.10.2026 एवं अनुस्मार पत्रांक 4982 दिनांक 02.11.2026 के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त कम में वांछित रिक्त पदों की सूचना श्रेणीवार विवरण एवं कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पदो के सापेक्ष रिक्त पदों का अधियाचन पत्रांक 4889 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड, अधीनस्थ सेवा आयोग, रायपुर–थानों रोड, निकट–महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, डाकघर–रायपुर, देहरादून को भेजा गया है तथा सेवा नियमावली की सूचना 02 प्रमाणित प्रतियों में संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है।

**संलग्नः– कुल 13 पृष्ठ (02 प्रतियों में)**

04/11/26

कनिष्ठ सहायक
पटल सहायक मिनिस्ट्रियल संवर्ग
कृषि निदेशालय।

5/11/26

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी /
सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृषि निदेशालय के पत्रांक–4815 / स्था0 / सू0अ0अधि0 / पत्रा0सं0–80 / 2026–27 दिनांक 27.10.2026 के द्वारा श्री हिमांश पपने का आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन सं0– DAUKD/R/2026/60031 दिनांक 20.10.2026 एवं अनुस्मार पत्रांक 4982 दिनांक 02.11.2026 के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त कम में वांछित रिक्त पदों की सूचना श्रेणीवार विवरण एवं कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पदो के सापेक्ष रिक्त पदों का अधियाचन पत्रांक 4889 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड, अधीनस्थ सेवा आयोग, रायपुर–थानों रोड, निकट–महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, डाकघर–रायपुर, देहरादून को भेजा गया है तथा सेवा नियमावली की सूचना 02 प्रमाणित प्रतियों में संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है।

**संलग्नः– कुल 13 पृष्ठ (02 प्रतियों में)**

04/11/26

कनिष्ठ सहायक
पटल सहायक मिनिस्ट्रियल संवर्ग
कृषि निदेशालय।

5/11/26

## लिपिक संवर्ग के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 16 | 16 | 00 |

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 22 | 22 | 00 |

प्रशासनिक अधिकारी

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 22 | 22 | 00 |

प्रधान सहायक

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 49 | 45 | 04 |

वरिष्ठ सहायक

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 77 | 71 | 06 |

कनिष्ठ सहायक

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 88 | 71 | 17 |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लेखा एवं)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

## लिपिक संवर्ग के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 16 | 16 | 00 |

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 22 | 22 | 00 |

प्रशासनिक अधिकारी

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 22 | 22 | 00 |

प्रधान सहायक

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 49 | 45 | 04 |

वरिष्ठ सहायक

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 77 | 71 | 06 |

कनिष्ठ सहायक

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 88 | 71 | 17 |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सक सम्प.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

# लिपिक संवर्ग के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 16 | 16 | 00 |

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 22 | 22 | 00 |

प्रशासनिक अधिकारी

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 22 | 22 | 00 |

प्रधान सहायक

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 49 | 45 | 04 |

वरिष्ठ सहायक

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 77 | 71 | 06 |

कनिष्ठ सहायक

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 88 | 71 | 17 |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सक. सम.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(21) 142/90

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–1
संख्या: 411/XIII/3(08)/2008
देहरादूनः दिनांक 28 जुलाई, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

## उत्तराखण्ड, कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ– 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना– 2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में जहां–जहां शब्द "उत्तरांचल" आया है, वहां–वहां वह शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

नियम 5 का प्रतिस्थापन– 3. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग,लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 में कृषि निदेशालय के क्रमांक–1 तथा सम्भागीय और अधीनस्थ कार्यालय के क्रमांक–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| वर्तमान नियम | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| भर्ती का स्रोत<br>5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–<br>कृषि निदेशालय–<br>(1) नैयक श्रेणी लिपिक– अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली 1975 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा।<br>सम्भागीय और अधीनस्थ कार्यालय–<br>(1) कनिष्ठ लिपिक– अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली 1975 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा। | भर्ती का स्रोत<br>5. कृषि निदेशालय एवं सम्भागीय और अधीनस्थ कार्यालय की सेवा में कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन सीधी भर्ती द्वारा किया जायेगा। |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लेखा, सम्प्रे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(28) (1975) 1977

4. इस नियमावली में दिये गये स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्-

| स्तम्भ-1<br>वर्तमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| सीधी भर्ती की प्रक्रिया | सीधी भर्ती की प्रक्रिया |
| 14. लिपिक श्रेणी या कनिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती अधीनस्थ कार्यालय लिपिक (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। | 14(1) कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-<br>(एक) नियुक्ति अधिकारी - अध्यक्ष<br>(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा- सदस्य<br>(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। सदस्य<br>(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। सदस्य<br>(पाँच) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी। सदस्य<br>(2) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रकाश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।<br>(3) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन-पत्र उप नियम (2) में प्रकाशित प्रस्ताव पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियों अधिसूचित करेगा:-<br>(एक) ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,<br>(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके तथा रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और,<br>(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके। |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्पे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(19)

(4) उक्त नियम 4(3) के अधीन निर्धारित न्यूनतम अंक अनारक्षित श्रेणी के लिये पुनः निर्धारित की जा सकेंगे।

(5) प्रश्न के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान की प्रश्न संख्या के पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का एक प्रश्नपत्र होगा।

(6) प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(7) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(8) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा अभ्यर्थी को डुप्लीकेट प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(9) लिखित परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तर माला (Answer Key) उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित की जायेगी।

(10) अभ्यर्थी को टंकण की परीक्षा देनी होगी। टंकण के लिए 4000 KDPH (की डिप्रेशन्स पर आवर) पर न्यूनतम गति निर्धारित होगी। उक्त परीक्षा 50 अंको की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेगें। टंकण परीक्षा में अभ्यर्थी को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर बुलाया जायेगा। टंकण परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या की चार गुनी होगी।

(11) लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों तथा अधिमान अंको के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, तो आगु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति, सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(सुरेन्द्र कुमार)
सचिव।

(सुरेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (सेवा, सर्वे, सेवा सूचना अधिकारी)
भूमि निदेशालय, उत्तराखण्ड
हेलाद्वानी

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग
अधिसूचना
08 नवम्बर, 2002 ई0

सं0 1404/कृषि/3(5)/2002– चूँकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो।

तथा चूँकि उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है।

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी।

**उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002**

**1– संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :–**

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

**2– "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना–**

उत्तर प्रदेश, कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983 में जहाँ–जहाँ शब्द पद 'उत्तर प्रदेश' आया है वहां–वहां यह शब्द 'उत्तरांचल' पढ़ा जायेगा।

**3– दिनांक 9–11–2002 के उपरान्त उत्तरांचल के संशोधन–**

दिनांक 9/11/2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1983 में समय–समय पर किये गये संशोधन लैप होंगे।

आज्ञा से,

(वी0पी0 पाण्डेय)
सचिव।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लाक सम्पर्क)

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4 खण्ड (क)

(साधन पारेषण संख्या)

लखनऊ, सोमवार, 1 अगस्त, 1983

श्रावण 10, 1905 सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पृष्ठ संख्या—5

संख्या 1733/दस-2-(10)-1589 (10)-2e

लखनऊ, 1 अगस्त, 1983

अधिसूचना

अधोहस्ताक्षरी

(सुरेन्द्र सिंह)
सहायक निदेशक (सेल)
लोक सूचना आयुक्त,
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्प्रे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

के पैरा और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द—

1—कनिष्ठ लिपिक .. अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ।

2—वरिष्ठ लिपिक .. स्थायी कनिष्ठ लिपिकों में से, अनुपमुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।

3—प्रधान लिपिक .. स्थायी वरिष्ठ लिपिकों में से, अनुपमुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा ।

6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग चार—अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) निम्नवत अपवादों हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहले जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश—केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ग) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा में लगे रहने दिया जायेगा जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जावे या उसके पक्ष में जारी कर दिया जावे ।

8—सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक या हतायें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिये ।

अधिमानी अर्हतायें

9—अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु

10—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाये, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि वह पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये, और पहली जुलाई को, यदि वह पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी निर्धारित की जाये ।

चरित्र

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा नियुक्त व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध में सिद्धदोष व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

(सुरेन्द्र कुमार)
उपनिदेशक (तकनीकी)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

वैधानिक अनिवार्यता

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी बाद नहीं होगा एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी बाद होगी जिसने ऐसे पुरुष किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रावधान से छूट दे सकते हैं, यदि वे समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं ।

शारीरिक स्वस्थता

13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक कौशल जिसकी उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उसको यह आवेगी कि वह परिशिष्ट क्रम-10 के अधीन बनाये गये और फाइनेंशियल हैण्ड बुक, भाग तीन के सम्बन्ध नोट में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे

परन्तु ऐसी अति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की आवेगी ।

भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

14—लेखाकार लेखा लिपिक या कनिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती अधीनस्थ कार्यालय वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

15—(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती एक सक्षम समिति के माध्यम से की जायेगी जिसे निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा :—

निदेशालय के लिये—

(एक) कृषि निदेशक या यदि उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय तो अपर निदेशक, कृषि ..

(दो) संयुक्त निदेशक, कृषि ..

(तीन) उप निदेशक, कृषि ..

अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के लिये—

(एक) संयुक्त निदेशक, कृषि ..

(दो) उप निदेशक, कृषि ..

(तीन) कृषि निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट समूह-ख का एक अन्य अधिकारी ..

(2) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या को सूचित उप निदेशक (मुख्यालय) को देंगे । उप निदेशक (मुख्यालय) नियुक्ति प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर रिक्तियों को अवधारित करेगा और अभ्यर्थियों की उपेक्षता-क्रम में पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

सहायक निदेशक (प्रशा.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(3) चयन समिति, उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के पात्रता पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की, उपेक्षता-क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे उप निदेशक (मुख्यालय) को अग्रसारित करेगी जो नियुक्ति प्राधिकारियों को उनके अनुरोध के अनुसार, ऐसी सूची से नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी उपलब्ध करायेगा ।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

16—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा, जिसमें नाम, यथास्थिति, नियम 14 या 15 के अधीन तैयार की गई सूचियों में हों ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उप नियम (1) में सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्ति कर सकता ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन भावना चयन किये जाने तक में जो भी पहले हो से अधिक नहीं चलेगी ।

परिवीक्षा

17—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रति व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित में किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिससे ऐसा विस्तार विनिर्दिष्ट किया जायेगा कब तक अवधि बढ़ायी जाये :

परन्तु, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी को अवर या उसकी जगह में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का यथोचित उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में सम्यक विफल रहा है तो उसे उसको मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर अस्थायित्व न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) इस नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संपरिवर्तन करने के प्रयोजनार्थ लिये जाने की अनुमति दे सकता है।

18—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाये,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

19—(1) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर साथ नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु जहाँ किया गया कोई अस्थायी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों से बिना अपना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।

साप्ताहिक विदेशालय (राज्य सूचना अधिकारी), उत्तराखण्ड
कृषि निदेशालय, उत्तरांचल
देहरादून

वेतनमान—वेतन मान इत्यादि

20—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो वेतनमान नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रचलित वेतनमान नीचे दिये गये हैं :—

| पद का नाम | | वेतनमान रु० |
|---|---|---|
| (क) कृषि निदेशालय में— | | |
| वरिष्ठ श्रेणी लिपिक | .. | 354-10-424-रो०-10-454-12-514-रो०-12-550 रुपया। |
| वरिष्ठ लेखा लिपिक | .. | 430-12-490-15-520-रो०-15-640-रो०-15-685 रुपया। |
| लेखा उप लेखक | .. | 515-15-590-18-626-रो०-18-680-20-700-रो० 20-900 रुपया। |
| प्रधान लिपिक | .. | 570-25-770-रो०-30-860-रो०-30-1100 रुपया। |
| प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक | .. | 625-30-835-रो०-30-925-35-1065-रो०-35-1240-रो० 40-1360 रुपया। |
| प्रशासनिक अधिकारी | .. | 625-30-835-रो०-30-925-35-1065-रो० 35-1240-रो० 40-1360-रुपया। 50 रो० विशेष वेतन। |
| (ख) अधीनस्थ कार्यालय में— | | |
| कनिष्ठ लिपिक | .. | 354-10-424-रो०-10-454-12-514 रुपया। |
| वरिष्ठ लिपिक | .. | 430-12-490-15-520-रो०-15-640-रो०-15-655 रुपया। |
| प्रधान लिपिक | .. | 515-15-590-18-626-रो०-18-680-20-700-रो० 20-900 रुपया। |

परिशिष्ट—ख

[नियम 4 (3) देखिये]

पेशा की सरल-संरचना

| कार्यालय का नाम | पदों का नाम | | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| कृषि निदेशालय | (एक) वैधानिक सहायक | .. | 1 |
| | (दो) प्रशासनिक अधिकारी | .. | 6 |
| | (तीन) प्रधान सहायक | .. | 5 |
| | (चार) प्रधान लिपिक | .. | 25 |
| | (पांच) कोष्ठ एवं लेखा-परीक्षक | .. | 65 |
| | (छः) अभिलेख और लेखा-लिपिक | .. | 101 |
| | (सात) लेखक धोबी लिपिक | .. | 155 |
| योजनाओं और अधीनस्थ कार्यालयों में | (एक) प्रधान लिपिक | .. | 31 |
| | (दो) वरिष्ठ लिपिक | .. | 663 |
| | (तीन) कनिष्ठ लिपिक | .. | 3310 |

सुरेन्द्र सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.-II)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

आज्ञा से,
भूरे लाल,
सचिव

---

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2725/XII-9–1999 (10)-76, dated August, 1, 1983 :

No. 2725/XII-9–1999 (10)-76

*Dated Lucknow, August 1, 1983*

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Agriculture Department Ministerial Service.

## THE UTTAR PRADESH AGRICULTURE DEPARTMENT MINISTERIAL SERVICES RULES, 1983

### PART I—GENERAL

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Agriculture Department Ministerial Service Rules, 1983.

(2) They shall come into force at once.

Status of the service.

2. The Uttar Pradesh Agriculture Department Ministerial Service Comprises Group 'B' and Group 'C' posts.

Definition.

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'appointing authority' in relation to a post means the authority mentioned as such in the Appendix 'A';

(b) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution ;

(c) 'Constitution' means the Constitution of India ;

(d) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh ;

(e) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh ;

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
सहायक निदेशक (तक0सम्पे0),
कृषि निदेशालय।

महोदय,

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या – कृ0नि0/4815/लेखा/सू0अ0अधि0/ /2026-27/ दिनांक – 27.10.2026 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत लेखा पटल से सम्बंधित चाही गई सूचना एक पृष्ठ में निम्नानुसार आपको प्रेषित की जा रही है।

| क्र0सं0 | संवर्ग | स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद | अधियाचन हेतु पदों का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लेखाकार | 20 | 11 | 09 | 00 |
| 2 | सहायक लेखाकार | 69 | 62 | 07 | 00 |

भवदीय

12/11/26

(अर्जुन सिंह रावत)
वरिष्ठ सहायक

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्पे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(मानचित्रक / ड्राफ्टसमैन अ0कृ0से0 वर्ग–1)

।। मानचित्रक अ0कृ0से0 वर्ग–2 के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण।।

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 21 | 11 | 10 |

10 रिक्त पदों पर इस कार्यालय के पत्र संख्या–3442 दिनांक–25.08.2026 एवं संशोधित पत्र संख्या–4607 दिनांक–15.10.2026 के द्वारा उत्तराखण्ड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है। साथ ही उक्त पद हेतु शैक्षिक आर्हता 31 मार्च, 2000 नियमावली की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें उल्लेख किया गया है।

(वैयक्तिक सहायक)

।। वैयक्तिक सहायक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण।।

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | उपनल से कार्यरत | रिक्त पद |
|---|---|---|---|
| 12 | 07 | 05 | – |

(अंकित चौहान)
प्रधान सहायक
पटल सहायक
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्प्रे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग – 4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

इलाहाबाद, शुक्रवार, 31 मार्च, 2000 ई0

(चैत्र 11, 1922 शक सम्वत्)


## उत्तर प्रदेश शासन

## कृषि विभाग

अनुभाग–4

संख्या 44 / 12–4–99–1715 / 93

लखनऊ, दि0 31 मार्च, 2000 ई0

## अधिसूचना

## प्रकीर्ण

(सुरेन्द्र सिंह)
सहायक निदेशक (लघु, सम्पे.)
एवं सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सं0 10 नि0 — 24

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विभाग का [illegible] विधानमण्डल नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि विभाग सेवानियमावली, 2000 में भर्ती और उससे नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमित करने के लिए निम्न नियमावली बनाते हैं :-

### भाग–एक सामान्य

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि विभाग सेवानियमावली, 2000 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी

2– सेवा की प्रास्थिति–उत्तर प्रदेश कृषि विभाग सेवानियमावली सेवा एक सेवा है जिसमें [illegible] और समूह "घ" के पद समाविष्ट हैं।

3– परिभाषायें– जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित [illegible] और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है।

(ख) नियोक्ता प्राधिकारी का तात्पर्य किसी जिले के [illegible] संयुक्त कृषि निदेशक और [illegible] से है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

21--(1) कण्डामेन्टल रूल में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान के प्रारंभी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और वहां निहित उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और पक्के स्थायी हो कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की समाप्ति वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार की अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत कण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यसेवा के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

प्रभार रोक पर करने का भत्ता

22--किसी व्यक्ति को—

(एक) प्रथम प्रभारारोप पर करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये ।

(दो) द्वितीय प्रभारारोप पर करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने विशिष्ट योग्यता और स्वप्रेरणा से कार्य न किया हो, उसका काम और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये ।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्प्र.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

भाग ग 8---अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23---किसी पद के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास भी नियुक्ति के लिये उसे अयोग्य कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

24---ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

शेष की शर्तों में शिथिलता

25---जहां सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, ऐसे लोगों तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है ।

अनुसूचित

26---इन नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे [illegible] नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन- जातियों और व्यक्तियों को अन्य विशेष सुविधायें देने के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

---

परिशिष्ट---ग

[नियम 3 (क) देखिये]

नियुक्ति प्राधिकारी

(1) निदेशालय के मुख्यालय में पदों के लिये ... कृषि निदेशक

(2) [illegible]

(ङ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।

(च) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा नियमों या आदेशों के अधीन सीधिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि शोध संस्थान स्थापन अधिष्ठान सेवा से है।

(ट) "सीधिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

## भाग दो–संवर्ग

4–सेवा का संवर्ग :– (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी क्रमशः आकस्मिक संवर्ग और पदोन्नति संवर्ग के सम्बन्ध में परिशिष्ट 'क (1)' और परिशिष्ट 'क (2)' में दिया गया है।

परन्तु –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या अस्थायित रख सकता है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिवाद का हकदार न होगा।

(दो) सरकार ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

## भाग–तीन भर्ती

5– भर्ती का स्त्रोत :– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी :–

(1) ट्रेसर – चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) मानचित्रक – (एक) 60 प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 20 प्रतिशत सीधिक रूप से नियुक्त ट्रेसरों में से जिन्होंने इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को मानचित्रक के पद श्रेणी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित अर्हतायें रखते हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्तियां भर्ती के पश्चातवर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी।

(3) ज्येष्ठ मानचित्रक :– सीधिक रूप से नियुक्त मानचित्रक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) खात्रिक मानचित्रक :– सीधिक रूप से नियुक्त मानचित्रक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

6– आरक्षण :– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, राज्य और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

## भाग–चार अर्हताएं

7– राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सत. सम्पे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(ङ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।

(च) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा नियमों या आदेशों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है।

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि रोधन रक्षावरण अधिष्ठान सेवा से है।

(ट) "सीधी नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो पदोन्नति द्वारा नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यवाहक आदेशों द्वारा राजपत्र विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

## भाग दो–संवर्ग

4–सेवा का संवर्ग :– (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी क्रमशः आनुबन्ध संवर्ग और उपसंवर्ग के सम्बन्ध में परिशिष्ट 'क (1)' और परिशिष्ट 'क (2)' में दिया गया है।

परन्तु –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या अस्थायित रख सकता है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिवाद का हकदार न होगा।

(दो) सरकार ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

## भाग–तीन भर्ती

5– भर्ती का स्त्रोत :– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी

(1) ट्रेसर – चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) मानचित्रक – (एक) 60 प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 20 प्रतिशत मौसिक रूप से नियुक्त ट्रेसरों में से जिन्होंने इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को मानचित्रक के पद श्रेणी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित अर्हतायें रखते हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्तियां भर्ती के पश्चातवर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी।

(3) ज्येष्ठ मानचित्रक :– मौसिक रूप से नियुक्त मानचित्रक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) खात्रिक मानचित्रक :– मौसिक रूप से नियुक्त मानचित्रक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

6– आरक्षण :– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

## भाग–चार अर्हताएं

7– राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सत्र, सम्पे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(ङ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।

(च) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा नियमों या आदेशों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है।

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि रोधन रक्षावरण अधिष्ठान सेवा से है।

(ट) "सीधी नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो पदोन्नति द्वारा नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यवाहक आदेशों द्वारा राजपत्र विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

## भाग दो–संवर्ग

4–सेवा का संवर्ग :– (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी क्रमशः आनुबन्ध संवर्ग और उपसंवर्ग के सम्बन्ध में परिशिष्ट 'क (1)' और परिशिष्ट 'क (2)' में दिया गया है।

परन्तु –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या अस्थायित रख सकता है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिवाद का हकदार न होगा।

(दो) सरकार ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

## भाग–तीन भर्ती

5– भर्ती का स्त्रोत :– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी

(1) ट्रेसर – चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) मानचित्रक – (एक) 60 प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 20 प्रतिशत मौसिक रूप से नियुक्त ट्रेसरों में से जिन्होंने इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को मानचित्रक के पद श्रेणी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित अर्हतायें रखते हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्तियां भर्ती के पश्चातवर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी।

(3) ज्येष्ठ मानचित्रक :– मौसिक रूप से नियुक्त मानचित्रक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) खात्रिक मानचित्रक :– मौसिक रूप से नियुक्त मानचित्रक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

6– आरक्षण :– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

## भाग–चार अर्हताएं

7– राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सत्र, सम्पे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(पुरुषोत्तम कुमार)
सहायक निदेशक (लाभ, छात्रवृ.)
राज्य मूल्यांकन अधिकारी
मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

10– आयु– सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें रिक्ति विज्ञापित की जाय पहली जुलाई को अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष तक होगी, जितनी निर्दिष्ट की जाय।

11– चरित्र – सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये वह उपयुक्त हो सके। इस बिन्दु पर नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी – संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12– वैवाहिक परिस्थिति :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13– शारीरिक स्वस्थता :– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्सियल हैण्ड बुक खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये परिच्छेद [illegible] के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

## भाग–पाँच भर्ती की प्रक्रिया

14– रिक्तियों का अवधारण :– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित रीति से रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा–

(एक) व्यापक परिचालन रखने वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके

(दो) कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/टेलीविजन और अन्य मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके और।

(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

15– सीधी भर्ती की प्रक्रिया :– (1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नांकित होंगे

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी ——————— अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से किसी एक अधिकारी को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। ——————— सदस्य

(तीन) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का न हो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का हो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनु० जनजाति में से किसी एक अधिकारी का नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। ——————— सदस्य

(सुरेन्द्र कुमार)
सचिव निदेशक (तक. सम्पे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(घार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पद जिसके लिए नियुक्ति की जानी हो की अपेक्षाओं के अनुरूप सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाला एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा ——— सदस्य

(ङघ) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी। ——— सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यार्थियों से किसी प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) अभ्यार्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको को सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात चयन समिति नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियो का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यार्थियो को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जो इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियत मानक तक आये हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यार्थी को प्रदान किये गये अंको को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको की जोड़ा जायेगा।

(4) चयन समिति अभ्यार्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यार्थी द्वारा प्राप्त अंको से पकट हो एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यार्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करे तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाला अभ्यार्थी सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाऐगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 % से अधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

16– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :–

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो के लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी :– चयन समिति में अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन दिए गए आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यार्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो पर) पदोन्नति, पात्रता सूची नियमावली 1995 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो समिति समझे जाय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यार्थियों के मामलो पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यार्थियो का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किए गए अभ्यार्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो जिसमें उसकी पदोन्नति की जाती हैं एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17– संयुक्त चयन सूची :– यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यार्थियों के नाम उस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त निदेशक (लेक. सम्प्रे.)
लोक सूचना अधिकारी
निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

## भाग–छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति :–(1) उपनियम (2) के उपबन्धो के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यार्थियों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वह यथास्थिति, नियम 15,16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नही की जायेंगी जब तक कि दोनों स्त्रोतो से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाने हो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जावेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिसमें उन्हे पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट के अनुसार रखा जायेगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में उसका स्थायीकरण के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू मुख्यमन्त्र नियमों द्वारा विनियमित होगा।

24- दुराचरण पर कड़ने का सामदण्ड – किसी व्यक्ति को पदच्युत नौकर पर करने की अनुमति नहीं अवधि जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी स्थायिता प्रमाणित न कर दी जाय।

## भाग – आठ अन्य उपलब्ध

25- पक्ष समर्थन- किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अभ्यर्थिता के लिए पक्षपात या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य कर देगा।

26- अन्य विषयों का विनियमन – ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

27- सेवा की शर्तों में शिथिलता – जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस नियम की अपेक्षाओं को इस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले के न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

28- व्यावृत्ति- इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य विशेषाधिकार पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

### परिशिष्ट – क (1) – सामान्य संवर्ग
नियम 4 (2) देखिये

| क्रम संख्या | पद का नाम | पदों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्थायी | अस्थायी | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ट्रेसर | 46 | 96 | 142 |
| 2 | मानचित्रक | 56 | 79 | 135 |
| 3 | यांत्रिक मानचित्रक | 01 | – | 01 |
| 4 | उच्चेष्ठ मानचित्रक | – | 04 | 04 |

### परिशिष्ट क (2) – पर्वतीय उप संवर्ग
(नियम 4 (2) देखिये)

| क्रम सं0 | पद का नाम | पदों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्थायी | अस्थायी | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ट्रेसर | 39 | – | 39 |
| 2 | मानचित्रक | 27 | – | 27 |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सक. सचि.)
सूचना अधिकारी
सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

आज्ञा से,

कैलाश टेडियाल,
सचिव

सांख्यिकी संवर्ग के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

1. अपर साख्यिकी अधिकारी वर्ग–1

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 29 | 28 | 01 |

2. सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 44 | 11 | 33 |

3. डाटा एन्ट्री आपरेटर वर्ग–2

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 04 | 01 | 03 |

सुमन देवी
वर्ग-2

## सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के पटल से सम्बन्धित सूचना

| क0स0 | विकास शाखा | रसायन शाखा | कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत पद | रिक्त पद | अधियाचन हेतु पदो का विरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | सीधी भर्ती | | 97 | 90 | 07 | 07 |
| 02 | पदोन्नति | | 98 | 27 | 71 | 00 |
| 03 | | सीधी भर्ती | 19 | 19 | 00 | 00 |
| 04 | | पदोन्नति | 19 | 05 | 14 | 00 |
| | | योग | 233 | 141 | 92 | 07 |

## सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 के पटल से सम्बन्धित सूचना

| क0स0 | कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत पद | रिक्त पद | अधियाचन हेतु पदो का विरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 483 | 393 | 90 | 82 |

(मनोज कुमार बडुवाडी)
प्रधान सहायक
कार्या० - कृषि निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्प्रे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

कनिष्ठ अभियन्ता, अ0कृ0से0वर्ग–1 (अभियंत्रण शाखा) संवर्ग के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

| स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 54 | 41 | 13 | 04 कनिष्ठ अभियन्ता उपनल के माध्यम से एवं 01 का0प्र0 सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत |

कृषि निदेशालय के आदेश संख्या– कृ0नि0/2544/दिनांक 22.07.2026 के द्वारा अधियाचन अनुसचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित किया गया है तथा इन सभी रिक्त पदों के लिये सेवा नियमावली उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1 –संख्या–107049/दिनांक 20.03.2023 संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्पे.)
सेवा सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार, 20 मार्च, 2023 ई0
फाल्गुन 29, 1944 शक सम्वत्


उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1

संख्या 107049/ई–14907/XIII-1/2023–03(10)2013
देहरादून, 20 मार्च, 2023

अधिसूचना
प्रकीर्ण

साधारण–07

राजपत्र भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा" में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

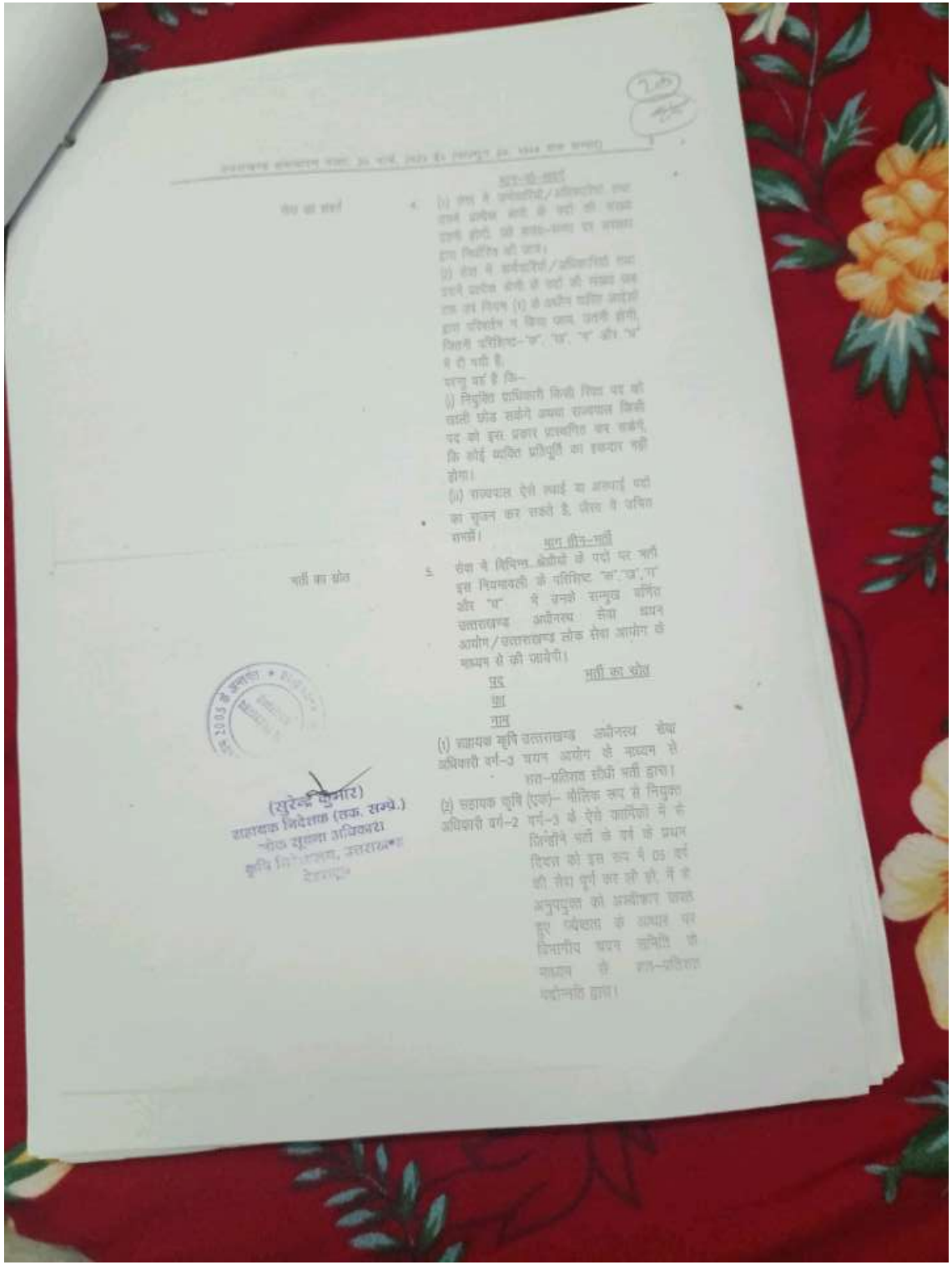
(सुरेन्द्र कुमार)
राज्यपाल निदेशक (तकनीकी)
एवं पदेन सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 2023

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 2023 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रकृति 2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ कृषि सेवा एक अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह 'ग'



सेवा की शर्तें

4. (i) राज्य के उपनिवेशों/अधिकारियों तथा उनके अधीन अन्य के पदों की संख्या उनकी होगी, जो समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित की जाय।

(ii) सेवा में कार्यकारियों/अधिकारियों तथा उनके अधीन होने के पदों की संख्या खंड (i) के उपबंध (i) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट-'अ', 'ब', 'स' और 'द' में दी गयी है।

परन्तु यह है कि–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेगा अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रावधानित कर सकेगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ii) राज्यपाल ऐसी लम्बाई या अवधि पदों का सृजन कर सकते है, जैसा वे उचित समझें।

भर्ती की शर्तें

5. सेवा में विभिन्न श्रेणीयों के पदों पर भर्ती इस नियमावली के परिशिष्ट 'अ','ब','स' और 'द' में उनके सम्मुख वर्णित उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा प्रथम आयोग/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी।

| पद | भर्ती का क्रोत |
|---|---|
| (i) सहायक भूमि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा अधिकारी वर्ग-3 | चयन आयोग के माध्यम से सत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। |
| (ii) सहायक भूमि (एक)- अधिकारी वर्ग-2 | राजनैतिक स्तर से नियुक्त वर्ग-3 के ऐसे ग्रामीणों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस राज्य में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए परीक्षण के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लक. सम्पे.)
भूमि सुधार अधिकारी
देहरादून

(घ)– सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 के शाखा का आकार उपलब्ध पदों की स्थिति में अनुसार कार्मिकों से विकल्प एवं अभिरुचा के आधार पर पदोन्नति के उपरान्त किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि पात्र कार्मिकों की संख्या कम है तथा पदोन्नति हेतु पदों की संख्या ज्यादा है, तो, पदोन्नत कार्मिकों में से वरिष्ठता के आधार पर 85 प्रतिशत को विकास शाखा एवं 15 प्रतिशत को रसायन शाखा जिस अनुपात में पद है, के अनुसार शाखा आवंटित की जायेगी।

(ङ) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (एकं)– 50 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(चं)– 50 प्रतिशत पैतृक रूप से नियुक्त वर्ग–2 के विकास शाखा एवं रसायन शाखा के कार्मिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सक. सम्पे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(4) अभियन्ता — उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(5) प्राविधिक सहायक — उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(6) सहायक लाइब्रेरी अधिकारी वर्ग–2 — उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(7) संगणक / डाटा एंट्री आपरेटर (8) अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति द्वारा सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-2 एवं संगणक / डाटा एंट्री आपरेटर के धारकों में से, जिनकी भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयनों के आनुपातिक क्रम में उपेक्षता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये विभागीय चयन समिति के माध्यम से शत-प्रतिशत

8. उत्तराखण्ड पदोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार-अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में के स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा केनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया, गणराज्य (पूर्ववर्ती तानानिका और जंजीबार) और पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सा. सम्पे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

परन्तु यह और कि धारा (ख) में
सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उस
महाविद्यालय, अभिकरण द्वारा, अनावश्यक
द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना
आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी
धारा खेती (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता
का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के
लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे
अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक हो जाने
उसके ठीक भारत की सम्बन्धित प्राप्त
करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता
का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, किन्तु उसे न
तो जारी किया गया हो और न ही सम्बन्धित
किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार
में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे
अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा
सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके
द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया
जाए या उसके यह से जारी कर दिया
जाय।

सैद्धिक अर्हताएं

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है:–

| पद | अर्हताएं |
|---|---|
| (1) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक उपाधि। |
| (2) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 | पोषक संवर्ग सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 से शत–प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से। |

(3) (i) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (विकास शाखा) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (रसायन शाखा) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि रसायन/मृदा विज्ञान/भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्पे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

| | | |
|---|---|---|
| | (4) अनिवार्य अभिवक्ता | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था से कृषि/वेटरिनरी/ वेटेनिकल/ विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा |
| | (5) प्रतिवेदिक सहायक | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि |
| | (6) सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2 | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से गणित/सांख्यिकी/ गणितीय सांख्यिकीय में स्नातक एवं गणित/सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकीय /अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में 'ओ लेवल' डिप्लोमा। |
| | (7) संगणक/ डाटा एंट्री आपरेटर | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से गणित/ सांख्यिकी /गणितीय सांख्यिकी में स्नातक उपाधि के साथ गणित/ सांख्यिकी /वाणिज्य शास्त्र /अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में 'ओ लेवल' अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र। |
| | (8) अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1 | मौलिक रूप से नियुक्त सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–2 एवं संगणक/डाटा एंट्री आपरेटर के पदों से आनुपातिक क्रम में ज्येष्ठता के आधार पर। |

9. अन्य बातों के समान होने पर रीती भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) सार्वजनिक क्षेत्र का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(सुरेन्द्र कुमार) भाए
सहायक निदेशक (लाक. सम्प.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

अधिवर्ष / वांछनीय आयु

11. अधिवर्ष / वांछनीय आयुसीमा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अधिवर्ष / वांछनीय आयुसीमा नियुक्तियों, 2019 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार होगी।

किसी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें पहली जुलाई को न्यूनतम आयु 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए।

चरित्र

12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्प्रे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

वैवाहिक स्थिति

13. ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में, किसी पद पर नियुक्ति के पात्र न होंगे:

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक अपेक्षाएं

14. किसी भी अभ्यर्थी को उसे न किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि चिकित्सीय और शारीरिक दृष्टि से पर्याप्त स्वास्थ्य उसका न हो, और वह ऐसे किसी शारीरिक दोष से पूर्ण न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों के प्रभावपूर्ण पालन करने से बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह बिहार इंजीनियरिंग सेवा के खण्ड 2, भाग–3 के अध्याय 3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम– 2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा–33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदो तथा धारा–34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नही किया जायेगा;

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(सुरेन्द्र कुमार)
राज्यपाल निदेशक (तक. सम्प.)
लोक सूचना अधिकारी
मुद्रण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

रिक्तियों का अवधारण

भाग–पाँच– भर्ती की प्रक्रिया

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती से पदों पर भर्ती नियम 5 में उल्लिखित पदो पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित सम्बन्धित आयोग द्वारा की जावेगी।

(अ) सीधी भर्ती उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह "ग" के पदों पद सीधी भर्ती हेतु तद्समय प्रचलित नियमावली एवं समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

(ख) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत) कम्प्यूटर "ग" के पदों पर नियुक्ति हेतु सदस्यता प्रमाणित नियमावली एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार की जायेगी।

टिप्पणी- प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग जो लागू हो, के द्वारा समय-समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17 पदोन्नति द्वारा भर्ती निम्नलिखित आधार पर की जायेगी,

(1) पदोन्नति के समस्त पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर निम्नलिखित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी-

(क) निदेशक कृषि/विभागाध्यक्ष – अध्यक्ष

(ख) अपर निदेशक/समकक्ष अधिकारी –सदस्य

(ग) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट –सदस्य

दो राजपत्रित अधिकारी

किन्तु यदि उपरोक्तानुसार गठित चयन समिति में अध्यक्ष अथवा सदस्य में से कोई भी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/ जनजाति के दो किसी अधिकारी जो श्रेणी-2, राजपत्रित से निम्न न हो, सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उससे सम्बन्धित अन्य अभिलेख चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे, जो उचित समझे जाय।

(3) चयन समिति द्वारा उपबन्धित (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मानसे पर विचार किया जायेगा।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सा. सम्पर्क)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

संयुक्त चयन सूची

(1) चयन समिति चयनित किये गए अभ्यर्थियों की उपेक्षाक्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिसको पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

15. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त सूची इस प्रकार तैयार की जाएगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

भाग–छ–नियुक्ति परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें यथास्थिति नियम 16, 17 एवं 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों कोटों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति चयन में अवधारित किया जाए या जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय।

20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले परिवीक्षा का विनिर्देश करते हुए जब तक

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सा. प्र.)
लोक सूचना अधिकारी,
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
परेडग्राउण्ड

अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित किये जायेंगे,

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक उक्त किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
उपसचिव नियोजन (प्रभा०)
कृषि निदेशालय,
देहरादून

21. (1) नियम 20 के उप नियम (2) के उपबन्धों, के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसको नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि:-

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक हो, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो

सेवा की शर्तों में शिथिलता

26. विनियमित होंगे।

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उन नियमों की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

परन्तु उपबन्ध यह है कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य विधानों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्प्रे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

| | | |

## कृषि सेवा श्रेणी– 2 के सीधी भर्ती के पदों की स्थिति
## (स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण )

| क्र0 सं0 | पदनाम | कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत पद | रिक्त पद | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | कृषि विकास शाखा– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/ कृषि रक्षा अधिकारी/ सहायक निदेशक/ केन्द्र प्रभारी (लेवल–10) | 31 | 22 | 09 | 08 पदों का अधियाचन कृषि निदेशालय के पत्रांक–9142 दिनांक–18.03.2025 से प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रारम्भिक परीक्षा करायी जा चुकी है।<br>01 पद पर पूर्वतः चयनित अभ्यर्थी द्वारा योगदान नही किया गया है, उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाना है व अधियाचन प्रेषित किया जाना है। |
| 2 | साख्यिकी शाखा– सहायक निदेशक (लेवल–10) | 02 | 01 | 01 | 01 पद का अधियाचन कृषि निदेशालय के पत्रांक–9142 दिनांक–18.03.2025 से प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रारम्भिक परीक्षा करायी जा चुकी है। |
| | योग | 33 | 23 | 10 | – |

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

सहायक निदेशक (सां. सां.)
नोडल सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

## कृषि सेवा श्रेणी– 2 के सीधी भर्ती के पदों की स्थिति
## (स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण )

| क्रम संख्या | पदनाम | कुल स्वीकृत पद | कुल कार्यरत पद | रिक्त पद | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | कृषि विकास शाखा– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/ कृषि रक्षा अधिकारी/ सहायक निदेशक/ केन्द्र प्रभारी (लेवल–10) | 31 | 22 | 09 | 08 पदों का अधियाचन कृषि निदेशालय के पत्रांक–9142 दिनांक–18.03.2025 से प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रारम्भिक परीक्षा करायी जा चुकी है।<br>01 पद पर पूर्वयत चयनित अभ्यर्थी द्वारा योगदान नही किया गया है, उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाना है व अधियाचन प्रेषित किया जाना है। |
| 2 | सांख्यिकी शाखा– सहायक निदेशक (लेवल–10) | 02 | 01 | 01 | 01 पद का अधियाचन कृषि निदेशालय के पत्रांक–9142 दिनांक–18.03.2025 से प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रारम्भिक परीक्षा करायी जा चुकी है। |
| | योग | 33 | 23 | 10 | – |

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

(54)

प्रेषक,

महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

सचिव,
कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।

पत्रांक–कृएनि/ 9142 /स्था0–1/श्रेणी–2/सीधी–भर्ती/2024–25 दिनांक : 18.03.2025

विषय : कृषि सेवा श्रेणी–2 (सीधी भर्ती) के रिक्त पदों पर अधियाचन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कृषि विभाग के अन्तर्गत कृषि सेवा श्रेणी–2 (कृषि विकास शाखा) में सीधी भर्ती के अन्तर्गत कुल 31 पद स्वीकृत हैं, जिनमें वर्तमान में 22 अधिकारी कार्यरत है व 09 पद रिक्त है। सीधी भर्ती के 01 पद पर विगत चयन उपरान्त नियुक्त कार्मिक श्री श्रीपाल सिंह द्वारा योगदान नही किया गया है। वर्तमान में रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जानी है। इसके अतिरिक्त सांख्यिकी शाखा में सीधी भर्ती के कुल 02 पदों के सापेक्ष रिक्त 01 पद पर भी अधियाचन प्रेषित किया जाना है। इस हेतु विभाग में रिक्त पदों का अधियाचन निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. कृषि सेवा श्रेणी–2 ( कृषि विकास शाखा) सीधी भर्ती के कुल पद– | | 31 |
| | कार्यरत पद– | 22 |
| | रिक्त पद | 09 |
| | सामान्य अधियाचन हेतु पद– | 07 |
| | विशेष अधियाचन हेतु पद– | 01 |
| 2. कृषि सेवा श्रेणी–2 (सांख्यिकी शाखा) सीधी भर्ती के कुल पद– | | 02 |
| | कार्यरत पद– | 01 |
| | रिक्त पद | 01 |

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान समय से पूर्व तक विभाग में सभी नियुक्तियाँ उ0प्र0 कृषि समूह–ख सेवा नियमावली 1995 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 से उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के तहत की गई है तथा वर्ष 2021 में भी इसी नियमावली के अधीन शाखावार अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष श्रेणी–2 में अधिकारियों का चयन हुआ है तथा कुछ पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उन रिक्तियों को अग्रेनीत किया गया है। तत्समय शाखावार रोस्टर की गणना कर, कमांकित करते हुए पद अधियाचित किये गये। वर्तमान में उत्तराखण्ड कृषि समूह "ख" सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 लागू होने एवं पूर्ववत प्रचलित विकास शाखा, अभियंत्रण शाखा, पौध संरक्षण शाखा, रसायन शाखा व वनस्पति शाखा को सम्मिलित कर कृषि विकास शाखा गठित किये जाने के उपरान्त रोस्टर कमांकों का निर्धारण व तदनुसार ऊर्ध्व व क्षैतिज आरक्षण की गणना की जानी है।

अतः उक्तानुसार अधियाचन प्रपत्र, रोस्टर के अनुसार पदों का विवरण, स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूची तथा उ0प्र0 कृषि समूह–ख सेवा नियमावली 1995 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 से उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) कृषि सेवा समूह–ख नियमावली व उत्तराखण्ड कृषि समूह "ख" सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि विभाग में रिक्त कृषि सेवा श्रेणी–2 के पदों हेतु अधियायन लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय,

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लोक सूचना अधिकारी)
कृषि निदेशालय, देहरादून

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक,
कृषि एवं उद्यान विभाग,
उत्तराखण्ड।

RAWAT 2018-IE

अधियाचन प्रपत्र–1

## कृषि सेवा समूह–"ख" कृषि विकास शाखा

| 1 | (क) | पद का नाम | कृषि सेवा समूह–ख (कृषि विकास शाखा) के अन्तर्गत सहायक निदेशक / कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी / कृषि रक्षा अधिकारी / केन्द्र प्रभारी (शा0 सं0–956 दिनांक–02.08.2003 के अनुसार पदनाम परिवर्तित) |
|---|---|---|---|
| | (ख) | क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ, तो यह पद कब सृजित किया गया था | नही |
| | | यदि यह पद नया नही है, तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है | उत्तराखण्ड राज्य बनने पर विभागीय पुनर्गठन शा0 सं0–956 दिनांक–02.08.2003 में स्वीकृत। |
| | (1) | क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है | नही |
| | (2) | यदि हाँ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है | – |
| | (3) | क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाये | – |
| | (4) | यदि अनुमोदन प्राप्त नही किया है, तो परिस्थितियां बताई जायें जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नहीं की जा सकी | – |
| | (i) | क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में है | हाँ |
| | (i) | सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है | कृषि सेवा समूह–ख (कृषि विकास शाखा) |
| | (i) | क्या उक्त पद सम्वर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो संबंधित सेवा नियमावली में दिखाई गई है | हाँ |
| | (ग) | स्वीकृत पदों की संख्या | 31 |
| | (घ) | स्वीकृत पदों के सापेक्ष भरे गये पदों की कुल संख्या | 22 |
| | (ङ) | स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की कुल संख्या | 09 |
| | (च) | भरे जाने वाले पदों की संख्या | 08 |
| | (1) | उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए | – |
| | (2) | उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए | – |
| | (3) | उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए | – |
| | (4) | अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए | 07 |
| | (5) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 01 |
| | (छ) | क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और | रोस्टर के अनुसार निर्धारित प्रतिशत के अनुसार अंकि |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्प्रे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | प्रतिशत एवं आरक्षण रोस्टर के अनुसार गणना में भिन्नता होने पर नियत प्रतिशत के अनुसार ही रिक्तियों का विवरण दिया गया है।<br>उक्त के अतिरिक्त रोस्टर के क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। | रोस्टर क्रमांक– 27, 29, 32, 33, 34, 37, 40 |
| | (ग) | क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण, नियत प्रतिशत का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार से दिया जाय | – |
| | (1) | उत्तराखण्ड की अधिवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए | 02 (अनारक्षित) |
| | (2) | उत्तराखण्ड के अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए | – |
| | (3) | उत्तराखण्ड के अधिवासी शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए | |
| | (क) | दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए | – |
| | (ख) | श्रवण ह्रास से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए | |
| | (ग) | चलन किया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तकीय अपंगता के लिए | – |
| | (4) | उत्तराखण्ड के अधिवासी पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए | – |
| | (5) | उत्तराखण्ड के अधिवासी विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए | – |
| | (6) | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी अथवा उनके आश्रित अभ्यर्थियों के लिए | – |
| 2 | | क्या उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग , महिला व शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों की रिक्तियों में अग्रेनीत रिक्तियों को भी शामिल कर दिया गया है। | नही है |
| 3 | | क्या यह पद राजपत्रित है या अराजपत्रित | राजपत्रित समूह– श्रेणी–ख |
| 4 | | क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी, यदि अस्थायी है तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा | स्थायी |
| 5 | | पद का वेतनमान(बैण्ड वेतनमान व ग्रेड वेतन सहित) | रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 पुनरीक्षित लेवल–10 रू0 56100–177500 |
| 6 | | क्या अनुमन्य वेतनमान में बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है, यदि हाँ, तो किस हद तक | शासनादेशानुसार दिया जा सकता है। |
| 7 | | क्या यह पेंशनयुक्त है अथवा अंशदायी पेंशनयुक्त अथवा बिना पेंशन का | अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित |
| 8 | | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो | उ0प्र0 कृषि समूह–ख सेवा नियमावली 1995 (उत्तराखण्ड यथा प्रवृत्त) के नियम–10 के अनुसार |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | द्वारा श्रेणी–2 के अधिकारी को आवंटित करेंगे। |
| 10 | | चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यग्रहण करना होगा | आदेश निर्गत होने के 30 दिन के अन्तर्गत |
| 11 | | क्या निर्वाह निधि/सामान्य भविष्य निधि के प्रावधान लागू हैं। | नही |
| 12 | | कोई विशेष रियायत जैसे गुप्त क्वार्टर, रोशनी, पानी | नही |
| 13 | | अपेक्षित अर्हताऐं | |
| | क | अनिवार्य, जिसमें शिक्षा संबंधी अर्हताऐं, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि/कृषि अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । |
| | ख | अधिमान्य अर्हताऐं | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि कृषि (कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान/कृषि रसायन विज्ञान/मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण/कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन या अनुवांशिकीय में विशेषज्ञता/शस्य विज्ञान/कृषि अभियंत्रण) उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अर्हता/भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पी0एच0डी0की उपाधि कृषि (कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान/कृषि रसायन विज्ञान/मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण/ कृषि वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन या अनुवांशिकीय में विशेषज्ञता/शस्य विज्ञान या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।<br>उ0प्र0 कृषि समूह–ख सेवा नियमावली के नियम–9 के अनुसार अधिमानी अर्हताएं |
| | (ग) | अन्य कोई अर्हताएं | – |
| | (घ) | यदि उपर्यक्त अर्हताऐं किसी हद तक शिथिल की जा सकती है तो किस हद तक ऐसा किया जा सकता है। | – |
| | (ङ) | क्या समकक्ष अर्हताऐं भी स्वीकार की जायेंगी, यदि हों। तो समकक्ष अर्हता बताइये | – |
| 14 | | पद किस सेवा नियमवाली से आच्छादित है | उ0प्र0 कृषि समूह–ख सेवा नियमावली 1995 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 से उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड कृषि समूह "ख" सेवा (संशोधन) नियमावली |
| 15 | | आयु सीमायें | |
| | (क) | निम्न आयु सीमा | 21 वर्ष |
| | (ख) | अधिकतम आयु सीमा | 42 वर्ष |
| | (ग) | क्या आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है यदि हॉ तो विद्यमान शासनादेशों/सेवानियमावलियों का उल्लेख करते हुए किस–किस श्रेणी वर्ग के अभ्यर्थियों को कितनी आयु की शिथिलता प्रदान की जा सकती है | शा0 संख्या–1399/ XXX(2)/2005/दिनांक–21.05. के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में की छूट प्रदान की जायेगी। |
| | (घ) | आयु सीमा की गणना के लिए नियत तिथि का | प्रचलित शासनादेशानुसार |

RAWAT 2018-JE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | | अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता क्या अपेक्षित है | उ0प्र0 कृषि समूह-ख सेवा नियमावली के नियम-7 के अनुसार |
| 17 | | अभ्यर्थी की वैवाहिक स्थिति क्या अपेक्षित है | उ0प्र0 कृषि समूह-ख सेवा नियमावली के नियम-12 के अनुसार |
| 18 | | अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है | उ0प्र0 कृषि समूह-ख सेवा नियमावली के नियम-11 के अनुसार |
| 19 | | अभ्यर्थी की शारीरिक स्वस्थता के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है | उ0प्र0 कृषि समूह-ख सेवा नियमावली के नियम-13 के अनुसार |
| 20 | | क्या पद हेतु शारीरिक मानदण्ड भी लागू हैं? यदि हाँ तो पुरूष व महिला दोनों के लिए नियत शारीरिक मानदण्डों का उल्लेख किया जाय | – |
| 21 | | क्या सरकारी कर्मचारी कर्मचारी पात्र है?<br>यदि हाँ तो क्या उसके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा। उन शर्तों को बताइये जो उनके पक्ष में शिथिल की जायेगी | हाँ<br>कोई शर्त शिथिल नही की जायेगी। |
| 22 | | कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त प्रश्नों के अन्तर्गत नहीं आती | – |
| 23 | | क्या अधियाचन में दिये गये विवरण पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली या कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावली के अनुरूप है? यदि नही तो सम्बन्धित मद /प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय | नियमावली के अनुरूप है |

अधियाचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.. रणवीर सिंह चौहान
पदनाम.महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान विभाग,उत्तराखण्ड।

सहायक निदेशक
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(49)

## रिक्त पदों के सापेक्ष ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण का विवरण

पद का नाम–कृषि सेवा समूह–"ख" कृषि विकास शाखा
सीधी भर्ती के कुल पद– 31 कुल पद–रिक्त पदों की संख्या–09
अधियाचन हेतु प्रस्तावित–08 पद विशेष अधियाचन–01 पद

| ऊर्ध्व आरक्षण का विवरण | कुल रिक्त पद | क्षैतिज आरक्षण का विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत | स्वतंत्रसै0 के आश्रित 02 प्रतिशत | दिव्यांग 04 प्रतिशत | भूत पूर्व सैनिक 05 प्रतिशत | अनाथ बच्चों के लिए 5 प्रतिशत (दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी) | उत्तराखण्ड राज्य के कुशल खिलाड़ी 04 प्रतिशत | अनारक्षित |
| अनुसूचित जाति 19% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| अनुसूचित जन जाति 4 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| अन्य पिछड़ा वर्ग 14% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% (दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी) | 01 | – | – | – | – | – | – | 01 |
| अनारक्षित | 07 | 02 | – | – | – | – | – | 05 |
| कुल योग | 08 | 02 | – | – | – | – | – | 06 |

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम– बलवीर सिंह चौहान
पदनाम–महानिदेशक,उत्तराखण्ड।

लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(48)

# रिक्त पदों के सापेक्ष ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण का विवरण

## पद का नाम–कृषि सेवा समूह–"ख" कृषि विकास शाखा

## विशेष अधियाचन–01 पद (अन्य पिछड़ा वर्ग)

| ऊर्ध्व आरक्षण का विवरण | कुल रिक्त पद | क्षैतिज आरक्षण का विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत | स्वा0सं0से0 के आश्रित 02 प्रतिशत | दिव्यांग 04 प्रतिशत | भूत पूर्व सैनिक 05 प्रतिशत | अनाथ बच्चों के लिए 5 प्रतिशत (दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी) | उत्तराखण्ड राज्य के कुशल खिलाड़ी 04 प्रतिशत | अनारक्षित |
| अनुसूचित जाति 19% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| अनुसूचित जन जाति 4 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| अन्य पिछड़ा वर्ग 14% | 01 | – | – | – | – | – | – | 01 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% (दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| अनारक्षित | – | – | – | – | – | – | – | – |
| कुल योग | 01 | – | – | – | – | – | – | 01 |

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम– उमेदार सिंह चौहान
पदनाम–महानिदेशक,उत्तराखण्ड।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सप्र. सम्प्रे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

## सीधी भर्ती के कार्यरत कार्मिकों का विवरण (कृषि विकास शाखा)

| रोस्टर क्रमांक | अधिकारी का नाम | जन्मतिथि | भर्ती का स्रोत | जाति | श्रेणी–2 के पद पर नियुक्ति की तिथि | पद रिक्ति की स्थिति | रिक्ति की तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 अनुसूचित जाति | श्री विनय कुमार | 20.01.1978 | सीधी भर्ती | अनु0जाति | 03.11.2005 | पदोन्नति श्रेणी–1 | 05.04.2023 | |
| 2. अनारक्षित | श्री गोपाल सिंह भण्डारी | 10.11.1975 | सीधी भर्ती | अनु0जनजाति | 04.02.1999 | पदोन्नति श्रेणी–1 | 05.04.2023 | |
| 3. अनारक्षित | श्री जयप्रकाश तिवारी | 08.06.1972 | सीधी भर्ती | सामान्य | 08.07.2005 | पदोन्नति श्रेणी–1 | 05.04.2023 | |
| 4. अनारक्षित | श्री विजय देवराड़ी | 11.07.1978 | सीधी भर्ती | सामान्य | 08.07.2005 | पदोन्नति श्रेणी–1 | 05.04.2023 | |
| 5. अनारक्षित | श्रीमती लतिका सिंह | 20.09.1978 | सीधी भर्ती | सामान्य | 15.10.2005 | पदोन्नति श्रेणी–1 | 05.04.2023 | |
| 6. अनुसूचित जाति | श्रीमती सतोषी | 04.04.1981 | सीधी भर्ती | अनु0जाति | 17.11.2009 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 7. अन्य पिछड़ा वर्ग | श्रीमती प्रियंका सिंह | 26.09.1982 | सीधी भर्ती | पि0जाति | 17.11.2009 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 8. अनारक्षित | श्री विजय प्रकाश मौर्य | 25.08.1977 | सीधी भर्ती | सामान्य | 17.11.2009 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 9. अनारक्षित | श्री अमरेन्द्र कुमार | 01.01.1974 | सीधी भर्ती | सामान्य | 01.01.2015 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 10. अनारक्षित | श्रीमती रीतू कुकरेती | 17.11.1985 | सीधी भर्ती | सामान्य | 01.01.2015 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 11. अनुसूचित जाति | श्री अमित कुमार | 28.08.1984 | सीधी भर्ती | अनु0जाति | 01.01.2015 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 12. अनारक्षित | श्रीमती अभिलाषा भट्ट | 15.07.1982 | सीधी भर्ती | सामान्य | 01.01.2015 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 13. अनारक्षित | श्रीमती विधि उपाध्याय | 16.04.1984 | सीधी भर्ती | सामान्य | 01.01.2015 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 14. अन्य पिछड़ा वर्ग | श्री राजदेव पंवार | 15.01.1986 | सीधी भर्ती | पि0जाति | 14.12.2017 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 15. अनारक्षित | श्री विनोद कुमार शर्मा | 17.09.1984 | सीधी भर्ती | सामान्य | 01.01.2015 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 16. अनुसूचित जाति | श्री अश्वनी गौतम | 16.07.1983 | सीधी भर्ती | अनु0जाति | 01.01.2015 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 17. अनारक्षित | श्री दीपक पुरोहित | 30.04.1984 | सीधी भर्ती | सामान्य | 01.01.2015 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 18. अनारक्षित | श्री नितेश कुमार पुजारी | 01.08.1988 | सीधी भर्ती | सामान्य | 01.01.2015 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 19. अन्य पिछड़ा वर्ग | श्री अशोक गिरी | 01.06.1983 | सीधी भर्ती | पि0जाति | 14.12.2017 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 20. अनारक्षित | श्रीमती किरन राना | 20.10.1990 | सीधी भर्ती | सामान्य | 14.12.2017 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 21. अनुसूचित जाति | श्री सचिन कुमार | 18.09.1987 | सीधी भर्ती | अनु0जाति | 14.12.2017 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 22. अनारक्षित | श्री सौमाश कुमार | 06.05.1990 | सीधी भर्ती | सामान्य | 14.12.2017 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 23. अनारक्षित | श्री जोगुर अभीजित शिवप्पा | 29.04.1993 | सीधी भर्ती | सामान्य | 14.10.2024 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 24. अनुसूचित जनजाति | श्री लोकेन्द्र बिष्ट | 05.02.1985 | सीधी भर्ती | अनु0जनजाति | 01.01.2015 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 25. अनारक्षित | श्री श्रीपाल सिंह | 02.07.1983 | सीधी भर्ती | सामान्य | 14.10.2024 | पद रिक्त | | योगदान नहीं किया |
| 26. अनुसूचित जाति | रितू टम्टा | 10.02.1984 | सीधी भर्ती | अनु0जाति | 14.12.2017 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 27. अनारक्षित | | | | | | पद रिक्त | | अधियाचन प्रस्तावित |
| 28. अन्य पिछड़ा वर्ग | | | | | | पद रिक्त | | पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 अनारक्षित | | | | | | | | विशेष अधिवाचन |
| 30 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | सुश्री मनीषा बिष्ट | 30.09.1998 | सीधी भर्ती | सामान्य | 14.10.2024 | पद रिक्त<br>कार्यरत श्रेणी-2 | -- | अधिवाचन प्रस्तावित<br>-- |
| 31 अनुसूचित जाति | श्री राम गरीब | 10.09.1975 | सीधी भर्ती | अनुसूचित | 14.12.2017 | कार्यरत श्रेणी-2 | -- | -- |
| 32 अनारक्षित | | | | | | पद रिक्त | | अधिवाचन प्रस्तावित |
| 33 अनारक्षित | | | | | | पद रिक्त | | अधिवाचन प्रस्तावित |
| 34 अनारक्षित | | | | | | पद रिक्त | | अधिवाचन प्रस्तावित |
| 35 अन्य पिछड़ा वर्ग | | | | | | | | |
| 36 अनुसूचित जाति | | | | | | | | |
| 37 अनारक्षित | | | | | | पद रिक्त | | अधिवाचन प्रस्तावित |
| 38 अनारक्षित | | | | | | | | |
| 39 अनारक्षित | | | | | | | | |
| 40 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | | | | | | पद रिक्त | | अधिवाचन प्रस्तावित |

46

## अधियाचन प्रपत्र–1

## (कृषि सेवा श्रेणी–2, सांख्यिकी शाखा)

45

| I | (क) | पद का नाम | कृषि सेवा श्रेणी–2 (सांख्यिकी शाखा)<br>सहायक निदेशक (सांख्यिकी)<br>(शा0 सं0–956 दिनांक–02.08.2003 के अनुसार पदनाम परिवर्तित) |
|---|---|---|---|
| | (ख) | क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ, तो यह पद कब सृजित किया गया था | नही |
| | | यदि यह पद नया नहीं है, तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है | दि0–31.01.2024 को 01 अधिकारी की पदोन्नति उपरान्त |
| | (1) | क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है | नही |
| | (2) | यदि हाँ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है | – |
| | (3) | क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाये | – |
| | (4) | यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, तो परिस्थितियां बताई जायें जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नहीं की जा सकी | – |
| | (i) | क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में है | हाँ |
| | (ii) | सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है | कृषि सेवा श्रेणी–2 (सांख्यिकी शाखा) |
| | (iii) | क्या उक्त पद सम्वर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो संबंधित सेवा नियमावली में दिखाई गई है | हाँ |
| | (ग) | स्वीकृत पदों की संख्या | 02 |
| | (घ) | स्वीकृत पदों के सापेक्ष भरे गये पदों की कुल संख्या | 01 |
| | (ङ) | स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदो की कुल संख्या | 01 |
| | (च) | भरे जाने वाले पदों की संख्या | 01 |
| | (1) | उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए | – |
| | (2) | उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए | – |
| | (3) | उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए | – |
| | (4) | अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए | 01 |
| | (छ) | क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियां प्रत्येक श्रेणी के लिए नियत | रोस्टर के अनुसार निर्धारित प्रतिशत के अनुसार अंकित है |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (एवं. सं.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | प्रतिशत एवं आरक्षण रोस्टर के अनुसार गणना में भिन्नता होने पर नियत प्रतिशत के अनुसार ही रिक्तियों का विवरण दिया गया है।<br>उक्त के अतिरिक्त रोस्टर के क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। | रोस्टर क्रमांक– 05 |
| | (ज) | क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण, नियत प्रतिशत का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार से दिया जाय | |
| | (1) | उत्तराखण्ड की अधिवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए | – |
| | (2) | उत्तराखण्ड के अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए | – |
| | (3) | उत्तराखण्ड के अधिवासी शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए | – |
| | (क) | दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए | – |
| | (ख) | श्रवण ह्रास से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए | |
| | (ग) | चलन किया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तकीय अपंगता के लिए | – |
| | (4) | उत्तराखण्ड के अधिवासी पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए | – |
| | (5) | उत्तराखण्ड के अधिवासी विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए | – |
| | (6) | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी अथवा उनके आश्रित अभ्यर्थियों के लिए | – |
| 2 | | क्या उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग , महिला व शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों की रिक्तियों में अग्रेनीत रिक्तियों को भी शामिल कर दिया गया है। | नही है |
| 3 | | क्या यह पद राजपत्रित है या अराजपत्रित | राजपत्रित समूह–ख |
| 4 | | क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी, यदि अस्थायी है तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा | स्थायी |
| 5 | | पद का वेतनमान(बैण्ड वेतनमान व ग्रेड वेतन सहित) | रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 पुनरीक्षित लेवल–10 रू0 56100–177500 |
| 6 | | क्या अनुमन्य वेतनमान में बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है, यदि हाँ, तो किस हद तक | शासनादेशानुसार दिया जा सकता है। |
| 7 | | क्या यह पेंशनयुक्त है अथवा अंशदायी पेंशनयुक्त अथवा बिना पेंशन का | अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित |
| 8 | | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो | उ0प्र0 कृषि समूह–ख सेवा नियमावली 1995 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के नियम–19 के अनुसार |

(राजेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लाक, सम्पे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | पद के कर्तव्य | शा0 सं0-983 दिनांक-11.09.2006 एवं अन्य शासनादेशों के द्वारा श्रेणी-2 के अधिकारी को आवंटित कर्तव्य |
| 10 | | चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यग्रहण करना होगा | आदेश निर्गत होने के 30 दिन के अन्तर्गत |
| 11 | | क्या निर्वाह निधि/सामान्य भविष्य निधि के प्राविधान लागू हैं। | नही |
| 12 | | कोई विशेष रियायत जैसे मुफ्त क्वार्टर, रोशनी, पानी | नही |
| 13 | | अपेक्षित अर्हताएं | |
| | क | अनिवार्य, जिसमें शिक्षा संबंधी अर्हताएँ, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता |
| | ख | अधिमान्य अर्हताएं | सरकारी आकड़ो और उनके निर्वचन में पाँच वर्ष का अनुभव।<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में पी-एच.डी उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।<br>संगणक प्रोग्रामिंग और पी.सी.ए.टी/एक्स.टी के संचालन का ज्ञान<br>तथा उ0प्र0 कृषि समूह-ख सेवा नियमावली के नियम-9 के अनुसार अधिमानी अर्हताएं |
| | (ग) | अन्य कोई अर्हताएं | - |
| | (घ) | यदि उपर्युक्त अर्हताएं किसी हद तक शिथिल की जा सकती है तो किस हद तक ऐसा किया जा सकता है। | नही |
| | (ङ) | क्या समकक्ष अर्हताएँ भी स्वीकार की जायेंगी, यदि हाँ। तो समकक्ष अर्हता बताइये | - |
| 14 | | पद किस सेवा नियमावली से आच्छादित है | उ0प्र0 कृषि समूह-ख सेवा नियमावली 1995 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 से उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) |
| 15 | | आयु सीमायें | |
| | (क) | निम्न आयु सीमा | 21 वर्ष |
| | (ख) | अधिकतम आयु सीमा | 42 वर्ष |
| | (ग) | क्या आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है यदि हाँ तो विद्यमान शासनादेशों/सेवानियमावलियों का उल्लेख करते हुए किस-किस श्रेणी वर्ग के अभ्यर्थियों को कितनी आयु की शिथिलता प्रदान की जा सकती है | शा0 संख्या-1399/ XXX(2)/2005/दिनांक-21.05.2005 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी। |
| | (घ) | आयु सीमा की गणना के लिए नियत तिथि का उल्लेख किया जाय | प्रचलित शासनादेशानुसार |
| 16 | | अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता क्या अपेक्षित है | उ0प्र0 कृषि समूह-ख सेवा नियमावली 1995 के नियम-7 के |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सांख्यिकी)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

RAWAT 2018-R

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अपलोड की तिथिवार स्थिति क्या अपेक्षित है | उपरोक्त सूची क्रमांक-10 तक नियमावली पक्ष के नियम-12 के अनुसार |
| 19 | | अपलोड के अतिरिक्त और कथ्यांश में क्या अपेक्षित है | उपरोक्त सूची क्रमांक-10 तक नियमावली पक्ष के नियम-11 के अनुसार |
| 19 | | अपलोड की तकनीकि व्यवस्था से सम्बन्धित में क्या अपेक्षित है | उपरोक्त सूची क्रमांक-10 तक नियमावली पक्ष के नियम-12 के अनुसार |
| 20 | | क्या यह शुद्ध तकनीकि मापदण्ड भी लागू हैं? यदि हाँ तो पुनरुक्त न होने के लिए विद्यमान तकनीकि मापदण्डों का उल्लेख किया जाय | – |
| 21 | | क्या सम्बन्धी कर्मचारी कर्मचारी पात्र हैं?<br>यदि हाँ तो क्या उसके पद में किसी वर्ग को सिमित किया जायेगा। उन वर्गों को आवेदन जो उनके पद में सिमित की जायेगी | हाँ<br>कोई वर्ग सिमित नही की जायेगी। |
| 22 | | कोई अन्य वर्ग अथवा अर्हता जो उपर्युक्त प्रश्नों से आच्छादित नहीं आती | – |
| 23 | | क्या अधिसूचना में दिये गये विवरण पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली या तकनीकि विभाग द्वारा जारी नियमावली से अनुकूल हैं? यदि नहीं तो सम्बन्धित पद /ग्रेड के सम्बन्ध में विवरण स्पष्ट की जाय | नियमावली से अनुकूल है |

(सुरेन्द्र सिंह भोहरा)
उपनिदेशक (सेवा प्रबन्ध)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(सुरेन्द्र कुमार)
उपनिदेशक निदेशालय (सेवा प्रबन्ध)
संयुक्त सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(41)

## रिक्त पदों के सापेक्ष ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण का विवरण

### पद का नाम–कृषि सेवा श्रेणी–2 (सांख्यिकी शाखा)

### रिक्त पदों की संख्या (01)

| जाति | कुल रिक्त पद | क्षैतिज आरक्षण का विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत | खेलकूदकर्ता के अतिरिक्त 02 प्रतिशत | दिव्यांग 04 प्रतिशत | भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत | अन्नाय बच्चों के लिए 6 प्रतिशत (दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी) | उत्तराखण्ड केंद्रकुलल खिलाड़ियों हेतु 04 प्रतिशत | अनारक्षित |
| अनुसूचित जाति 19% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| अनुसूचित जन जाति 4 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| अन्य पिछड़ा वर्ग 14% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% (दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| सामान्य जाति | 01 | – | – | – | – | – | – | 01 |
| कुल योग | 01 | – | – | – | – | – | – | 01 |

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम– रणवीर सिंह चौहान
पदनाम–महानिदेशक,उत्तराखण्ड।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सां. स.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

# उत्तरांचल शासन

## कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

## अधिसूचना

08 नवम्बर, 2002 ई0

संo 1401/कृषि/3(5)/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि, उ0प्र0 कृषि (समूह "ख" पद) सेवा नियमावली, 1995 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल में यथावत लागू है.

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उ0प्र0 कृषि (समूह "ख" पद) सेवा नियमावली, 1995 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :—

### उत्तरांचल (उ0प्र0 कृषि समूह "ख" पद सेवा नियमावली, 1995) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1—संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश (कृषि समूह "ख" पद) सेवा नियमावली, 1995) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2—"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना—

उ0प्र0 कृषि (समूह "ख" पद) सेवा नियमावली, 1995 में जहां—जहां शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है वहां—वहां वह शब्द "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा।

3—दिनांक 9—11—2002 के उपरान्त उत्तरांचल के संशोधन—

दिनांक 9—11—2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उ0प्र0 कृषि (समूह "ख" पद) सेवा नियमावली, 1995 में समय—समय पर किये गये संशोधन लैम होंगे।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सा. सम्पे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तरांचल
देहरादून

आज्ञा से,
(बी0पी0 पाण्डेय)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1401/Agri/3(5)/2002, dated November 08, 2002 for general information :

### NOTIFICATION

*November 08, 2002*

**No. 1401/Agri/3(5)/2002**--WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Government of Uttaranchal may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as may be necessary or expedient;

AND WHEREAS, the U.P. Agriculture Group "B" Service Rules, 1995 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000) the Governor is pleased to direct the U.P. Agriculture Group "B" Service Rules, 1995, shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order :--

## सीधी भर्ती के कार्यरत कार्मिकों का विवरण (सांख्यिकी शाखा)

### सीधी भर्ती के कुल पद 02 कार्यरत–01 रिक्त –01

| रोस्टर क्रमांक | अधिकारी का नाम | जन्मतिथि | भर्ती का स्रोत | जाति | श्रेणी–2 के पद पर नियुक्ति की तिथि | पद रिक्ति की स्थिति | रिक्ति की तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. अनुसूचित जाति | श्री मुकेश कुमार | 20.06.1980 | सीधी भर्ती | अनुजाति | 18.12.2017 | पदोन्नति श्रेणी–1 | 31.01.2024 | |
| 2. अनारक्षित | डा. अजय कुमार शर्मा | 12.05.1968 | सीधी भर्ती | सामान्य | 27.03.1999 | पदोन्नति श्रेणी–1 | 25.10.2004 | |
| 3. अनारक्षित | श्री आशीष कुमार | – | सीधी भर्ती | सामान्य | 05.02.2018 | – | – | योगदान नहीं किया गया |
| 4. अनारक्षित | श्री चन्द्रशेखर बिष्टानिया | 05.06.1980 | सीधी भर्ती | सामान्य | 14.10.2024 | कार्यरत श्रेणी–2 | – | |
| 5. अनारक्षित | | | सीधी भर्ती | सामान्य | | पद रिक्त | | अधियाचन प्रस्तावित |
| 6. अनुसूचित जाति | | | सीधी भर्ती | अनुजाति | | | | |

सहायक कुलसचिव, अनारक्षित पद (सीधी भर्ती)

RAWAT 2018-IE

(39)
(23)

उत्तर प्रदेश सरकार
कृषि अनुभाग – 1,
संख्या : 958/12.1.95
लखनऊ : दिनांक मार्च 31, 1995

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उ.प्र. कृषि समूह "ख" सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

## उत्तर प्रदेश कृषि समूह "ख" सेवा नियमावली 1995

### भाग – एक : सामान्य

1. संक्षिप्त नाम :

1. यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि समूह "ख" सेवा नियमावली 1995 कही जायेगी ।
2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. सेवा की प्रास्थिति :

उत्तर प्रदेश समूह "ख" सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं ।

3. परिभाषाएं :

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में –

क. "परिशिष्ट" का तात्पर्य इस नियमावली के परिशिष्ट से है,

ख. "नियुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है,

ग. "भारत का नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

घ. "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

ङ. "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

च. "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

छ. "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

ज. "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों, के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

ग "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि समूह "ख" सेवा से है,

घ. "अधीनस्थ सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा से है,

ङ. "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो,

छ. "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

## भाग – दो : संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग :

1. सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

2. जब तक उप नियम [1] के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, मैदानी संवर्ग के लिए जैसी परिशिष्ट "क" में दी गयी है और पर्वतीय उप संवर्ग के लिए जैसी परिशिष्ट "ख" में दी गयी है, के अनुसार होगी; परन्तु

क. नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

ख. राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे।

3. सेवा में विभिन्न पद अनुभागों में विभाजित होंगे जैसा कि परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में प्रदर्शित हैं।

(सुरेन्द्र कुमार)
शताधक निदेशक (तक. शम्भे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

## भाग – तीन : भर्ती

5. भर्ती का स्रोत :

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में उनके सामने विनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायगी।

6. आरक्षण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

7. राष्ट्रीयता :

भाग – चार : अर्हताएं

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

क. भारत का नागरिक हो, या

ख. तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

ग. भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाणपत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिक अर्हतायें :

सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में पदों के सामने प्रदर्शित शैक्षिक अर्हतायें होनी चाहिए।

सहायक [illegible] (लेखा उत्तरा.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

अधिमानी अर्हतायें

किसी अभ्यर्थी को जिसमें –

एक. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

दो. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो,

अन्य बातें के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा ।

10. आयु :

सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि उस कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाय, इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

11. चरित्र :

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके ।

टिप्पणी :

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्प्रे.)
लोक सूचना अधिकारी
देहरादून

12. वैवाहिक प्रास्थिति :

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र [illegible] जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसमें ऐसे पुरुष से विवाह किया जो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो ।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।

13. शारीरिक स्वस्थता :

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक

की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25% से अनधिक) होगी। आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुभागवार सूची अनुसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :

पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए नियमावली 1992 के अनुसार की जायेगी।

परन्तु यदि इस प्रकार गठित चयन समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से प्रत्येक के व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं करती है, तो समूह 'क' पद धारण करने वाले किसी ऐसी जाति/जनजाति के अधिकारी को, जो चयन समिति में प्रतिनिधित्व न रखता हो, सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

संयुक्त चयन सूची :

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो सम्बद्ध अनुभाग के सम्बन्ध में एक संयुक्त चयन सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम ऐसी रीति से जोड़कर तैयार की जायेगी कि निर्धारित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग – ख : नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति :

1. उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियुक्ति करेगा।

2. जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

3. यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाएं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथा स्थिति, चयन में यथा अवधारित या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की

जाय ले भाग नियम-17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

19. परिवीक्षा :

1. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2. नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो-वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

3. यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

4. उप नियम [3] के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

5. नियुक्ति प्राधिकारी संघर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या अन्य उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

20. स्थायीकरण :

1. उप नियम [2] के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि –

क. उसका कार्य या आचरण सन्तोषप्रद बताया जाय,

ख. उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

ग. नियुक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

2. जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों का स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों

के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो तो वहां उक्त नियमावली के नियम 5 के उप नियम (iv) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

अपेक्षता

किसी सेवा के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की अपेक्षता समय-समय पर तथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अपेक्षता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

## भाग - वेतन इत्यादि

वेतनमान :

1. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।

2. इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन :

1. फण्डामेन्टल रूल्स के किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, और उसे स्थायी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

2. ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(सुरेन्द्र कुमार)
अपर निदेशक (सम. अधिकारी)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

(26)

3. ऐसे व्यक्ति जो, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

24. दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड :

किसी भी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग – आठ: अन्य उपबन्ध

25. पक्ष समर्थन :

सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे निर्हित के लिए अनर्ह कर देगा ।

26. अन्य विषयों का विनियमन :

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों में अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

27. सेवा की शर्तों में शिथिलता :

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों से अधीन रखते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण नीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है ।

परन्तु उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल या अभियुक्त करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा ।

28. व्यावृत्ति :

इस नियमावली को किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनकी इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों को अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से,
रमेश यादव
सचिव ।

सहायक निदेशक (सूचना)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

परिशिष्ट "क"

मैदानी संवर्ग

(नियम 4(2), 4(3), 5, 8 और 22(2) देखिये )

| क्रम सं. | विभाग का नाम | पद का नाम | पदों की संख्या स्थायी | अस्थायी | योग | भर्ती का स्रोत | शैक्षिक अर्हता | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | विकास | 1. जिला कृषि अधिकारी | 47 | 8 | 55 | 1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा<br>2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता | 2200-75-2800-ई बी.-100-4000 रुपये |
| | | 2. सहायक कृषि निदेशक (नियोजन) मुख्यालय | 1 | – | 1 | | | |
| | | 3. सहायक कृषि निदेशक (नियोजन) टी.एण्ड वी. | – | 3 | 3 | | | |
| | | 4. कृषि अधिकारी (बीज) मुख्यालय | 1 | – | 1 | | | |
| | | 5. सहायक कृषि निदेशक (सोयाबीन) मुख्यालय | – | 1 | 1 | | | |
| | | 6. तिलहन प्रसार अधिकारी मुख्यालय | 1 | – | 1 | | | |
| | | 7. सहायक कृषि निदेशक (सूर्यमुखी) मुख्यालय | – | 1 | 1 | | | |
| | | 8. सहायक कृषि निदेशक (पैकेज) मुख्यालय | 1 | – | 1 | | | |
| | | 9. सहायक कृषि निदेशक (आपूर्ति) मुख्यालय | 1 | – | 1 | | | |
| | | 10. सहायक कृषि निदेशक (कृषि प्रसार) | – | 2 | 2 | | | |

(राजेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लेक, सत्रे.)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत
कृषि निदेशालय
उत्तराखण्ड
प्रमाणित

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11. | उप निदेशक(प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण), प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो लखनऊ के सहायक | 1 | – | 1 | | | |
| | 12. | क्षेत्र संगठक, प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, लखनऊ | 1 | – | 1 | | | |
| | 13. | मुख्य प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय | 1 | – | 1 | | | |
| | 14. | फार्म प्रबन्ध अधिकारी सम्भागीय संयुक्त कृषि निदेशक के मुख्यालय पर | 9 | 2 | 11 | | | |
| | 15. | फार्म प्रबन्धक, जमुनाबाद (खीरी), रहमान खेड़ा (लखनऊ), रहीमाबाद (लखनऊ) कटियार (लखनऊ) डकौली (हरदोई) | 5 | – | 5 | | | |
| | 16. | बीज उत्पादन अधिकारी, जमुनाबाद (खीरी) | 1 | – | 1 | | | |
| | 17. | सहायक आचार्य, सरकारी कृषि विद्यालय, चिरगांव (झांसी) और गोरखपुर | – | 2 | 2 | | | |
| | 18. | सहायक कृषि निदेशक (चावल) मुख्यालय | – | 1 | 1 | | | |
| | 19. | उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी | – | 253 | 253 | | | |
| | 20. | भूमि संरक्षण अधिकारी | 31 | 18 | 49 | | | |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम.),
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21. प्राविधिक अधिकारी उप कृषि निदेशक(भूमि संरक्षण) मुख्यालय पर | 2 | 5 | 7 | | | |
| | | 22. प्रभारी अधिकारी भूमि संरक्षण केन्द्र, रायबरेली । | – | 1 | 1 | | | |
| | | 23. प्राविधिक अधिकारी, प्राविधिक सम्प्रेक्षण, मुख्यालय | – | 3 | 3 | | | |
| | | 24. प्राविधिक अधिकारी रिमोट सेंसिंग, मुख्यालय | – | 1 | 1 | | | |
| | | योग | 103 | 301 | 404 | | | |
| 2. | पौधसंरक्षण | 1. पौध संरक्षण अधिकारी | 48 | – | 48 | 1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा<br>2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा | अनिवार्य :<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम.एस–सी(वनस्पति विज्ञान) या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एम.एस–सी.(प्राणि विज्ञान) में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।<br>अभिमानी :<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से | 2200–75–2800–ई.बी.–100–4000 रुपये |
| | | 2. पौध संरक्षण अधिकारी (आपूर्ति) | 1 | – | 1 | | | |
| | | 3. सहायक कृषि निदेशक पौध संरक्षण, लखनऊ | 1 | – | 1 | | | |
| | | 4. विषय वस्तु विशेषज्ञ (टी एण्ड वी योजना) | – | 22 | 22 | | | |
| | | योग | 50 | 22 | 72 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ऊपर लिखित किसी भी विषय में पी–एच.डी. की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । | |
| 5. | शस्य विज्ञान | 1. सहायक शस्य विज्ञानी, सम्भागीय कृषि परीक्षण और प्रदर्शन केन्द्र | 9 | – | 9 | 1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । | अनिवार्य<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से शस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । | 2200–75–2800–ई पी – 100–4000 रुपये |
| | | 2. विषय वस्तु विशेषज्ञ (टी.एण्ड वी. योजना) | – | 16 | 16 | 2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा । | अधिमानी<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शस्य विज्ञान में पी–एच.डी. उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । | |
| | | योग | 9 | 16 | 25 | | | |
| 6. | सांख्यिकी | 1. सांख्यिक | 4 | – | 4 | 1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा | अनिवार्य<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । | 2200–75–2800–ई पी – 100–4000 रुपये |
| | | 2. यांत्रिक सारणीकरण अधिकारी | 1 | – | 1 | 2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा । | | |
| | | 3. सांख्यिकी अधिकारी | 1 | 10 | 11 | | | |
| | | 4. शोध अधिकारी | – | 4 | 4 | | | |
| | | योग | 6 | 14 | 20 | | | |

अधिमानी
1 सहकारी आंकड़ों और

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | अभियंत्रण | 1. भूमि संरक्षण अधिकारी | 31 | 18 | 49 | 1. | | |
| | | 2. प्राविधिक अधिकारी उप कृषि निदेशक[भूमि संरक्षण], मुख्यालय | 2 | 5 | 7 | 2. | | |
| | | 3. सहायक कृषि अभियन्ता [प्रसार] सम्भागीय संयुक्त कृषि निदेशक मुख्यालय पर | 11 | – | 11 | | | |
| | | 4. सहायक कृषि अभियन्ता [कार्यशाला मुख्यालय–2] केन्द्रीय एवं पश्चिमी जोन लखनऊ, बाराबंकी, शाहजहांपुर, जौनपुर एवं रायबरेली | 6 | – | 6 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | कीट विज्ञान या पौध रोग विज्ञान में पी–एच.डी. की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । | |
| 3 | रसायन विज्ञान | 1. सहायक कृषि निदेशक, (मृदा परीक्षण और प्रदर्शन) मुख्यालय, लखनऊ | 1 | 1 | 1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । | अनिवार्य :<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व–विद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । | 2200–75–2800–ई रो. – 100–4000 रुपये |
| | | 2 सहायक कृषि निदेशक, (मृदा परीक्षण और प्रदर्शन) सम्भागीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद गोरखपुर, वाराणसी, आगरा | 9 | – | 9 | 2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा । | | |
| | | 3 सहायक मृदा रसायनज्ञ, मेरठ, बरेली, झांसी, इटावा, मथुरा, हरदोई, बाराबंकी, वाराणसी, आजमगढ़ । | 9 | – | 9 | | अधिमानी :<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व–विद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या मृदा परीक्षण में पी–एच.डी. की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । | |
| | | 4 सहायक कृषि निदेशक, (मृदा परीक्षण) राइजोबियम कल्चर योजना लखनऊ, बांदा, सुल्तानपुर, मेरठ, वाराणसी, आजमगढ़, इटावा अलीगढ़, बदायूँ । | – | 9 | 9 | | | |
| | | 5. नाशी कीट विश्लेषक | 1 | 2 | 3 | | | |
| | | 6. उर्वरक विश्लेषक | 1 | 2 | 3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7. सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, झांसी लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बरेली मुरादाबाद, कानपुर | – | 10 | 10 | | | |
| | | 8. सहायक कृषि निदेशक, मृदा परीक्षण, रायबरेली | – | 1 | 1 | | | |
| | | 9. सहायक कृषि निदेशक, (प्रशिक्षण एवं शोध) मुख्यालय | 1 | – | 1 | | | |
| | | योग | 21 | 25 | 46 | | | |
| 4 | वनस्पति विज्ञान | 1. सहायक अर्थ वनस्पति विज्ञानी, सम्भागीय कृषि परीक्षण और प्रदर्शन केन्द्र | 9 | – | 9 | 1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा<br>2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा । | अनिवार्य<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से कृषि वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या अनुवंशकीय के साथ पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि या पौध प्रजनन या अनुवंशकीय में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या वन विद्या में स्नातकोत्तर या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।<br>अभिमानी<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से | 2200-75-2800-ड रु - 100-4000 रुपये |
| | | 2. विषय वस्तु विशेषज्ञ (टी.एण्ड वी. योजना) | – | 12 | 12 | | | |
| | | शोध नियोजन एवं समन्वय अधिकारी | 1 | – | 1 | | | |
| | | सहायक कृषि निदेशक (फार्म) लखनऊ | 1 | – | 1 | | | |
| | | शोध अधिकारी | 1 | – | 1 | | | |
| | | योग | 12 | 12 | 24 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | | सहायक कृषि अभियन्ता, जयमलपाद प्रक्षेत्र, खीरी | 1 | – | 1 | | | |
| 6. | | सहायक कृषि अभियन्ता (कार्यशाला), बेलीपुर, देवरिया), आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर(2), एटा अलीगढ़, रहीमाबाद(ट्रैक्टर) ईसी, इटावा, चिनहट (प्रोध) | 10 | – | 10 | | | |
| 7. | | सहायक कृषि अभियन्ता (मुख्यालय) | 1 | – | 1 | | | |
| 8. | | सहायक कृषि अभियन्ता (निर्माण) | 1 | – | 1 | | | |
| 9. | | प्राविधिक अधिकारी तकनीकी सम्प्रेक्षण, मुख्यालय | – | 3 | 3 | | | |
| 10. | | प्राविधिक अधिकारी, रिमोट सेन्सिंग(मुख्यालय) | – | 1 | 1 | | | |
| | | योग | 57 | 33 | 90 | | | |

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
पन्तनगर

(दर्शवलेले प्रकरण)

सहायक निबंधक (वर्ग २, श्रेणी)
तसेच दुय्यम अधिकारी
मुळीक निबंधक, जनाबाद
(वर्ग-२)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | वनस्पति विज्ञान | 1. सहायक अर्थ वनस्पति विज्ञानी, सम्भागीय कृषि प्रशिक्षण और प्रदर्शन केन्द्र | 1 | – | 1 | 1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। | अभिमानी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या मृदा सर्वेक्षण में पी–एच.डी. की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। |
| | | 2. सहायक कृषि निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी, सम्भागीय कृषि और प्रदर्शन केन्द्र, चिन्यालीसोड़, उत्तर काशी | – | 1 | 1 | 2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। | अनिवार्य भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या आनुवंशकीय के साथ पौध प्रजनन या अनुवंशकीय में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या वन विद्या में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई अर्हता। 2200–75–2800–ग्रे.पे.– 100–4000 रुपये |
| | | | | | | | अभिमानी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ऊपर उल्लिखित विषयों में पी–एच.डी. उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई अर्हता। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | जन्तु विज्ञान | 1 सहायक जन्तु विज्ञानी सम्भागीय कृषि परीक्षण और प्रदर्शन केन्द्र | 1 | – | 1 | 1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । | अनिवार्य : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से जन्तु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । | 2200–75–2800–6 रो – 100–4000 रुपये |
| | | योग | 1 | – | 1 | 2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा । | अभिलाषी : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से जन्तु विज्ञान में पी-एच.डी. उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । | |
| 6 | सांख्यिकी | 1 सांख्यिकी अधिकारी | – | 2 | 2 | 1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । | अनिवार्य : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । | 2200–75–2800–6 रो – 100–4000 रुपये |
| | | योग | – | 2 | 2 | 2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा । | अभिलाषी : सरकारी आंकड़ों और उनके निर्वचन में पांच वर्ष का अनुभव । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | अभियन्ता | 1. भूमि संरक्षण अधिकारी | 3 | 8 | 11 | 1. पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । | अनिवार्य<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । | 2200-75-2800-कै.रो.-100-4000 रुपये |
| | | 2. प्रादेशिक अधिकारी, उप कृषि निदेशक, (भूमि संरक्षण) मुख्यालय | 2 | – | 2 | 2. पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा । | | |
| | | 3. प्रभारी अधिकारी भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र | 1 | – | 1 | | अधिमानी<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । | |
| | | 4. सहायक कृषि अभियन्ता (पुसार) | 2 | – | 2 | | | |
| | | योग | 8 | 8 | 16 | | | |

मुद्रक पुसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्मूरो, कृषि विभाग, 9, विश्व विद्यालय मार्ग, लखनऊ ।
जून 1995 1000

( रमेश पाठक )
सचिव

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1
संख्या–1425 /XIII-1/2021-03(14)2021
देहरादून दिनांक 10 दिसम्बर 2021

19

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल भारत का "संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश कृषि समूह "ख" सेवा नियमावली, 1995 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात :–

उत्तराखण्ड कृषि समूह "ख" सेवा (संशोधन) नियमावली 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि समूह "ख" सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन. 2. उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उप नियम (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| विद्यमान उप नियम | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम |
| (2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जाएं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, मैदानी संवर्ग के लिए जैसी परिशिष्ट "क" में दी गयी है और पर्वतीय उप संवर्ग के लिए जैसी परिशिष्ट "ख" में दी गयी है, के अनुसार होगी : परन्तु<br>क. नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या<br>ख. राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें। | (2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जाएं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें कृषि सेवा श्रेणी–2 समूह 'ख' कृषि विकास शाखा के पदों की संख्या, जैसा कि परिशिष्ट 'क' में प्रदर्शित है, के अनुसार होगी : परन्तु<br>क. नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या<br>ख. राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें। |
| (3) सेवा में विभिन्न पद अनुभागों में विभाजित होंगे, जैसा कि परिशिष्ट "क" और "ख" में प्रदर्शित है। | (3) कृषि सेवा समूह "ख" कृषि विकास शाखा के अन्तर्गत पदों की संख्या एवं पदनाम परिशिष्ट "क" के अनुसार होंगे।" |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्पे.)
कृषि सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

| | |
|---|---|
| सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती शिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में उनके मने विनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायेगी। | 5 कृषि सेवा समूह "ख" कृषि विकास शाखा के पदों पर भर्ती परिशिष्ट "क" में उनके सामने विनिर्दिष्ट स्रोतों से की जायेगी। |

म 8 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| विद्यमान नियम | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में पदों के सामने प्रदर्शित शैक्षिक अर्हताएँ होनी चाहिए। | 8 कृषि सेवा समूह "ख" कृषि विकास शाखा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए परिशिष्ट "क" में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हताए होनी चाहिए। |

नियम 14 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| विद्यमान नियम | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| 14 नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली अनुभागवार रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली प्रत्येक अनुभाग में, रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा। | 14 नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।" |

नियम 15 का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के उप नियम (3) एवं (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| विद्यमान उप नियम | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम |
| (3) आयोग, लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को | (3) आयोग लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित |

| | |
|---|---|
| | परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे। |
| (4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी को अनुभागवार सूची अग्रसारित करेगा। | (4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी। आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा। |

नियम 17 का संशोधन

7. मूल नियमावली में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

| स्तम्भ-1 | स्तम्भ-2 |
|---|---|
| विद्यमान नियम | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| 17 यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो सम्बद्ध अनुभाग के सम्बन्ध में एक संयुक्त चयन सूची सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम ऐसी रीति से लेकर तैयार की जायेगी कि निहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।" | 17 यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो पदों के सम्बन्ध में एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी और उसमें अभ्यर्थियों के नाम ऐसी रीति से लेकर तैयार की जायेगी कि निहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा। |

नियम 21 का

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सा. सं.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश

8. मूल नियमावली में नीचे दिये गये स्तम्भ-1 में विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

| स्तम्भ-1 | स्तम्भ-2 |
|---|---|
| विद्यमान नियम | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| 21 किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक | 21 कृषि सेवा समूह 'ख' कृषि विकास शाखा के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय- समय पर यथा संशोधित |

| | |
|---|---|
| ...नियमावली 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। | उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी। |

(16)

नियम 22 का संशोधन

9. मूल नियमावली में नीचे दिये गये स्तम्भ–1 में विद्यमान नियम 22 के उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| विद्यमान उप नियम | प्रतिस्थापित उप नियम |
| (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं। | (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के कृषि सेवा समूह "ख" कृषि विकास शाखा के वेतनमान परिशिष्ट "क" में दिये गये हैं। |

परिशिष्टि का संशोधन

10. मूल नियमावली में परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' इस संशोधन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट से प्रतिस्थापित कर दी जायेगी।

(आर0श्रीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्प्रे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

अनुसूची-क
(नियम-4(1), 6, 8, 22(2) देखिए)

15

| क्रम सं. | पेशेवर अर्हता | फीस की राशि | देय फीस की राशि | टिप्पण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अधिवक्ता- भारत में किसी उच्च न्यायालय (किसी विधि विश्वविद्यालय से संबद्धित किसी अधिवक्ता संघ में सदस्यता प्राप्त कोई अर्हता। | (1) 80 % आवेदन के समय और शेष | 56100-177500 लेवल-10 | |
| 2 | | (2) 20 % मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |
| 101 | | | | |
| 102 | | | | |
| 103 | | | | |
| 104 | | | | |
| 105 | | | | |
| 106 | | | | |
| 107 | | | | |
| 108 | | | | |
| 109 | | | | |
| 110 | | | | |
| 111 | | | | |
| 112 | | | | |
| 113 | | | | |
| 114 | | | | |
| 115 | | | | |
| 116 | | | | |
| 117 | | | | |
| 118 | | | | |
| 119 | | | | |
| 120 | | | | |
| 121 | | | | |
| 122 | | | | |
| 123 | | | | |
| 124 | | | | |
| 125 | | | | |
| 126 | | | | |
| 127 | | | | |
| 128 | | | | |
| 129 | | | | |
| 130 | | | | |
| 131 | | | | |
| 132 | | | | |
| 133 | | | | |
| 134 | | | | |
| 135 | | | | |
| 136 | | | | |
| 137 | | | | |
| 138 | | | | |
| 139 | | | | |
| 140 | | | | |
| 141 | | | | |
| 142 | | | | |
| 143 | | | | |
| 144 | | | | |
| 145 | | | | |
| 146 | | | | |
| 147 | | | | |
| 148 | | | | |
| 149 | | | | |
| 150 | | | | |
| 151 | | | | |
| 152 | | | | |
| 153 | | | | |
| 154 | | | | |
| 155 | | | | |
| 156 | | | | |
| 157 | | | | |
| 158 | | | | |
| 159 | | | | |
| 160 | | | | |
| 161 | | | | |
| 162 | | | | |
| 163 | | | | |
| 164 | | | | |
| 165 | | | | |
| 166 | | | | |
| 167 | | | | |
| 168 | | | | |
| 169 | | | | |
| 170 | | | | |
| 171 | | | | |
| 172 | | | | |
| 173 | | | | |
| 174 | | | | |
| 175 | | | | |
| 176 | | | | |
| 177 | | | | |
| 178 | | | | |
| 179 | | | | |
| 180 | | | | |
| 181 | | | | |
| 182 | | | | |
| 183 | | | | |
| 184 | | | | |
| 185 | | | | |
| 186 | | | | |
| 187 | | | | |
| 188 | | | | |
| 189 | | | | |
| 190 | | | | |
| 191 | | | | |
| 192 | | | | |
| 193 | | | | |
| 194 | | | | |
| 195 | | | | |
| 196 | | | | |
| 197 | | | | |
| 198 | | | | |
| 199 | | | | |
| 200 | | | | |
| 201 | | | | |
| 202 | | | | |
| 203 | | | | |
| 204 | | | | |
| 205 | | | | |
| 206 | | | | |
| 207 | | | | |
| 208 | | | | |
| 209 | | | | |
| 210 | | | | |
| 211 | | | | |
| 212 | | | | |
| 213 | | | | |
| 214 | | | | |
| 215 | | | | |
| 216 | | | | |
| 217 | | | | |
| 218 | | | | |
| 219 | | | | |
| 220 | | | | |
| 221 | | | | |
| 222 | | | | |
| 223 | | | | |
| 224 | | | | |
| 225 | | | | |
| 226 | | | | |
| 227 | | | | |
| 228 | | | | |
| 229 | | | | |
| 230 | | | | |
| 231 | | | | |
| 232 | | | | |
| 233 | | | | |
| 234 | | | | |
| 235 | | | | |
| 236 | | | | |
| 237 | | | | |
| 238 | | | | |
| 239 | | | | |
| 240 | | | | |
| 241 | | | | |
| 242 | | | | |
| 243 | | | | |
| 244 | | | | |
| 245 | | | | |
| 246 | | | | |
| 247 | | | | |
| 248 | | | | |
| 249 | | | | |
| 250 | | | | |
| 251 | | | | |
| 252 | | | | |
| 253 | | | | |
| 254 | | | | |
| 255 | | | | |
| 256 | | | | |
| 257 | | | | |
| 258 | | | | |
| 259 | | | | |
| 260 | | | | |
| 261 | | | | |
| 262 | | | | |
| 263 | | | | |
| 264 | | | | |
| 265 | | | | |
| 266 | | | | |
| 267 | | | | |
| 268 | | | | |
| 269 | | | | |
| 270 | | | | |
| 271 | | | | |
| 272 | | | | |
| 273 | | | | |
| 274 | | | | |
| 275 | | | | |
| 276 | | | | |
| 277 | | | | |
| 278 | | | | |
| 279 | | | | |
| 280 | | | | |
| 281 | | | | |
| 282 | | | | |
| 283 | | | | |
| 284 | | | | |
| 285 | | | | |
| 286 | | | | |
| 287 | | | | |
| 288 | | | | |
| 289 | | | | |
| 290 | | | | |
| 291 | | | | |
| 292 | | | | |
| 293 | | | | |
| 294 | | | | |
| 295 | | | | |
| 296 | | | | |
| 297 | | | | |
| 298 | | | | |
| 299 | | | | |
| 300 | | | | |
| 301 | | | | |
| 302 | | | | |
| 303 | | | | |
| 304 | | | | |
| 305 | | | | |
| 306 | | | | |
| 307 | | | | |
| 308 | | | | |
| 309 | | | | |
| 310 | | | | |
| 311 | | | | |
| 312 | | | | |
| 313 | | | | |
| 314 | | | | |
| 315 | | | | |
| 316 | | | | |
| 317 | | | | |
| 318 | | | | |
| 319 | | | | |
| 320 | | | | |
| 321 | | | | |
| 322 | | | | |
| 323 | | | | |
| 324 | | | | |
| 325 | | | | |
| 326 | | | | |
| 327 | | | | |
| 328 | | | | |
| 329 | | | | |
| 330 | | | | |
| 331 | | | | |
| 332 | | | | |
| 333 | | | | |
| 334 | | | | |
| 335 | | | | |
| 336 | | | | |
| 337 | | | | |
| 338 | | | | |
| 339 | | | | |
| 340 | | | | |
| 341 | | | | |
| 342 | | | | |
| 343 | | | | |
| 344 | | | | |
| 345 | | | | |
| 346 | | | | |
| 347 | | | | |
| 348 | | | | |
| 349 | | | | |
| 350 | | | | |
| 351 | | | | |
| 352 | | | | |
| 353 | | | | |
| 354 | | | | |
| 355 | | | | |
| 356 | | | | |
| 357 | | | | |
| 358 | | | | |
| 359 | | | | |
| 360 | | | | |
| 361 | | | | |
| 362 | | | | |
| 363 | | | | |
| 364 | | | | |
| 365 | | | | |
| 366 | | | | |
| 367 | | | | |
| 368 | | | | |
| 369 | | | | |
| 370 | | | | |
| 371 | | | | |
| 372 | | | | |
| 373 | | | | |
| 374 | | | | |
| 375 | | | | |
| 376 | | | | |
| 377 | | | | |
| 378 | | | | |
| 379 | | | | |
| 380 | | | | |
| 381 | | | | |
| 382 | | | | |
| 383 | | | | |
| 384 | | | | |
| 385 | | | | |
| 386 | | | | |
| 387 | | | | |
| 388 | | | | |
| 389 | | | | |
| 390 | | | | |
| 391 | | | | |
| 392 | | | | |
| 393 | | | | |
| 394 | | | | |
| 395 | | | | |
| 396 | | | | |
| 397 | | | | |
| 398 | | | | |
| 399 | | | | |
| 400 | | | | |
| 401 | | | | |
| 402 | | | | |
| 403 | | | | |
| 404 | | | | |
| 405 | | | | |
| 406 | | | | |
| 407 | | | | |
| 408 | | | | |
| 409 | | | | |
| 410 | | | | |
| 411 | | | | |
| 412 | | | | |
| 413 | | | | |
| 414 | | | | |
| 415 | | | | |
| 416 | | | | |
| 417 | | | | |
| 418 | | | | |
| 419 | | | | |
| 420 | | | | |
| 421 | | | | |
| 422 | | | | |
| 423 | | | | |
| 424 | | | | |
| 425 | | | | |
| 426 | | | | |
| 427 | | | | |
| 428 | | | | |
| 429 | | | | |
| 430 | | | | |
| 431 | | | | |
| 432 | | | | |
| 433 | | | | |
| 434 | | | | |
| 435 | | | | |
| 436 | | | | |
| 437 | | | | |
| 438 | | | | |
| 439 | | | | |
| 440 | | | | |
| 441 | | | | |
| 442 | | | | |
| 443 | | | | |
| 444 | | | | |
| 445 | | | | |
| 446 | | | | |
| 447 | | | | |
| 448 | | | | |
| 449 | | | | |
| 450 | | | | |
| 451 | | | | |
| 452 | | | | |
| 453 | | | | |
| 454 | | | | |
| 455 | | | | |
| 456 | | | | |
| 457 | | | | |
| 458 | | | | |
| 459 | | | | |
| 460 | | | | |
| 461 | | | | |
| 462 | | | | |
| 463 | | | | |
| 464 | | | | |
| 465 | | | | |
| 466 | | | | |
| 467 | | | | |
| 468 | | | | |
| 469 | | | | |
| 470 | | | | |
| 471 | | | | |
| 472 | | | | |
| 473 | | | | |
| 474 | | | | |
| 475 | | | | |
| 476 | | | | |
| 477 | | | | |
| 478 | | | | |
| 479 | | | | |
| 480 | | | | |
| 481 | | | | |
| 482 | | | | |
| 483 | | | | |
| 484 | | | | |
| 485 | | | | |
| 486 | | | | |
| 487 | | | | |
| 488 | | | | |
| 489 | | | | |
| 490 | | | | |
| 491 | | | | |
| 492 | | | | |
| 493 | | | | |
| 494 | | | | |
| 495 | | | | |
| 496 | | | | |
| 497 | | | | |
| 498 | | | | |
| 499 | | | | |
| 500 | | | | |
| 501 | | | | |
| 502 | | | | |
| 503 | | | | |
| 504 | | | | |
| 505 | | | | |
| 506 | | | | |
| 507 | | | | |
| 508 | | | | |
| 509 | | | | |
| 510 | | | | |
| 511 | | | | |
| 512 | | | | |
| 513 | | | | |
| 514 | | | | |
| 515 | | | | |
| 516 | | | | |
| 517 | | | | |
| 518 | | | | |
| 519 | | | | |
| 520 | | | | |
| 521 | | | | |
| 522 | | | | |
| 523 | | | | |
| 524 | | | | |
| 525 | | | | |
| 526 | | | | |
| 527 | | | | |
| 528 | | | | |
| 529 | | | | |
| 530 | | | | |
| 531 | | | | |
| 532 | | | | |
| 533 | | | | |
| 534 | | | | |
| 535 | | | | |
| 536 | | | | |
| 537 | | | | |
| 538 | | | | |
| 539 | | | | |
| 540 | | | | |
| 541 | | | | |
| 542 | | | | |
| 543 | | | | |
| 544 | | | | |
| 545 | | | | |
| 546 | | | | |
| 547 | | | | |
| 548 | | | | |
| 549 | | | | |
| 550 | | | | |
| 551 | | | | |
| 552 | | | | |
| 553 | | | | |
| 554 | | | | |
| 555 | | | | |
| 556 | | | | |
| 557 | | | | |
| 558 | | | | |
| 559 | | | | |
| 560 | | | | |
| 561 | | | | |
| 562 | | | | |
| 563 | | | | |
| 564 | | | | |
| 565 | | | | |
| 566 | | | | |
| 567 | | | | |
| 568 | | | | |
| 569 | | | | |
| 570 | | | | |
| 571 | | | | |
| 572 | | | | |
| 573 | | | | |
| 574 | | | | |
| 575 | | | | |
| 576 | | | | |
| 577 | | | | |
| 578 | | | | |
| 579 | | | | |
| 580 | | | | |
| 581 | | | | |
| 582 | | | | |
| 583 | | | | |
| 584 | | | | |
| 585 | | | | |
| 586 | | | | |
| 587 | | | | |
| 588 | | | | |
| 589 | | | | |
| 590 | | | | |
| 591 | | | | |
| 592 | | | | |
| 593 | | | | |
| 594 | | | | |
| 595 | | | | |
| 596 | | | | |
| 597 | | | | |
| 598 | | | | |
| 599 | | | | |
| 600 | | | | |
| 601 | | | | |
| 602 | | | | |
| 603 | | | | |
| 604 | | | | |
| 605 | | | | |
| 606 | | | | |
| 607 | | | | |
| 608 | | | | |
| 609 | | | | |
| 610 | | | | |
| 611 | | | | |
| 612 | | | | |
| 613 | | | | |
| 614 | | | | |
| 615 | | | | |
| 616 | | | | |
| 617 | | | | |
| 618 | | | | |
| 619 | | | | |
| 620 | | | | |
| 621 | | | | |
| 622 | | | | |
| 623 | | | | |
| 624 | | | | |
| 625 | | | | |
| 626 | | | | |
| 627 | | | | |
| 628 | | | | |
| 629 | | | | |
| 630 | | | | |
| 631 | | | | |
| 632 | | | | |
| 633 | | | | |
| 634 | | | | |
| 635 | | | | |
| 636 | | | | |
| 637 | | | | |
| 638 | | | | |
| 639 | | | | |
| 640 | | | | |
| 641 | | | | |
| 642 | | | | |
| 643 | | | | |
| 644 | | | | |
| 645 | | | | |
| 646 | | | | |
| 647 | | | | |
| 648 | | | | |
| 649 | | | | |
| 650 | | | | |
| 651 | | | | |
| 652 | | | | |
| 653 | | | | |
| 654 | | | | |
| 655 | | | | |
| 656 | | | | |
| 657 | | | | |
| 658 | | | | |
| 659 | | | | |
| 660 | | | | |
| 661 | | | | |
| 662 | | | | |
| 663 | | | | |
| 664 | | | | |
| 665 | | | | |
| 666 | | | | |
| 667 | | | | |
| 668 | | | | |
| 669 | | | | |
| 670 | | | | |
| 671 | | | | |
| 672 | | | | |
| 673 | | | | |
| 674 | | | | |
| 675 | | | | |
| 676 | | | | |
| 677 | | | | |
| 678 | | | | |
| 679 | | | | |
| 680 | | | | |
| 681 | | | | |
| 682 | | | | |
| 683 | | | | |
| 684 | | | | |
| 685 | | | | |
| 686 | | | | |
| 687 | | | | |
| 688 | | | | |
| 689 | | | | |
| 690 | | | | |
| 691 | | | | |
| 692 | | | | |
| 693 | | | | |
| 694 | | | | |
| 695 | | | | |
| 696 | | | | |
| 697 | | | | |
| 698 | | | | |
| 699 | | | | |
| 700 | | | | |
| 701 | | | | |
| 702 | | | | |
| 703 | | | | |
| 704 | | | | |
| 705 | | | | |
| 706 | | | | |
| 707 | | | | |
| 708 | | | | |
| 709 | | | | |
| 710 | | | | |
| 711 | | | | |
| 712 | | | | |
| 713 | | | | |
| 714 | | | | |
| 715 | | | | |
| 716 | | | | |
| 717 | | | | |
| 718 | | | | |
| 719 | | | | |
| 720 | | | | |
| 721 | | | | |
| 722 | | | | |
| 723 | | | | |
| 724 | | | | |
| 725 | | | | |
| 726 | | | | |
| 727 | | | | |
| 728 | | | | |
| 729 | | | | |
| 730 | | | | |
| 731 | | | | |
| 732 | | | | |
| 733 | | | | |
| 734 | | | | |
| 735 | | | | |
| 736 | | | | |
| 737 | | | | |
| 738 | | | | |
| 739 | | | | |
| 740 | | | | |
| 741 | | | | |
| 742 | | | | |
| 743 | | | | |
| 744 | | | | |
| 745 | | | | |
| 746 | | | | |
| 747 | | | | |
| 748 | | | | |
| 749 | | | | |
| 750 | | | | |
| 751 | | | | |
| 752 | | | | |
| 753 | | | | |
| 754 | | | | |
| 755 | | | | |
| 756 | | | | |
| 757 | | | | |
| 758 | | | | |
| 759 | | | | |
| 760 | | | | |
| 761 | | | | |
| 762 | | | | |
| 763 | | | | |
| 764 | | | | |
| 765 | | | | |
| 766 | | | | |
| 767 | | | | |
| 768 | | | | |
| 769 | | | | |
| 770 | | | | |
| 771 | | | | |
| 772 | | | | |
| 773 | | | | |
| 774 | | | | |
| 775 | | | | |
| 776 | | | | |
| 777 | | | | |
| 778 | | | | |
| 779 | | | | |
| 780 | | | | |
| 781 | | | | |
| 782 | | | | |
| 783 | | | | |
| 784 | | | | |
| 785 | | | | |
| 786 | | | | |
| 787 | | | | |
| 788 | | | | |
| 789 | | | | |
| 790 | | | | |
| 791 | | | | |
| 792 | | | | |
| 793 | | | | |
| 794 | | | | |
| 795 | | | | |
| 796 | | | | |
| 797 | | | | |
| 798 | | | | |
| 799 | | | | |
| 800 | | | | |
| 801 | | | | |
| 802 | | | | |
| 803 | | | | |
| 804 | | | | |
| 805 | | | | |
| 806 | | | | |
| 807 | | | | |
| 808 | | | | |
| 809 | | | | |
| 810 | | | | |
| 811 | | | | |
| 812 | | | | |
| 813 | | | | |
| 814 | | | | |
| 815 | | | | |
| 816 | | | | |
| 817 | | | | |
| 818 | | | | |
| 819 | | | | |
| 820 | | | | |
| 821 | | | | |
| 822 | | | | |
| 823 | | | | |
| 824 | | | | |
| 825 | | | | |
| 826 | | | | |
| 827 | | | | |
| 828 | | | | |
| 829 | | | | |
| 830 | | | | |
| 831 | | | | |
| 832 | | | | |
| 833 | | | | |
| 834 | | | | |
| 835 | | | | |
| 836 | | | | |
| 837 | | | | |
| 838 | | | | |
| 839 | | | | |
| 840 | | | | |
| 841 | | | | |
| 842 | | | | |
| 843 | | | | |
| 844 | | | | |
| 845 | | | | |
| 846 | | | | |
| 847 | | | | |
| 848 | | | | |
| 849 | | | | |
| 850 | | | | |
| 851 | | | | |
| 852 | | | | |
| 853 | | | | |
| 854 | | | | |
| 855 | | | | |
| 856 | | | | |
| 857 | | | | |
| 858 | | | | |
| 859 | | | | |
| 860 | | | | |
| 861 | | | | |
| 862 | | | | |
| 863 | | | | |
| 864 | | | | |
| 865 | | | | |
| 866 | | | | |
| 867 | | | | |
| 868 | | | | |
| 869 | | | | |
| 870 | | | | |
| 871 | | | | |
| 872 | | | | |
| 873 | | | | |
| 874 | | | | |
| 875 | | | | |
| 876 | | | | |
| 877 | | | | |
| 878 | | | | |
| 879 | | | | |
| 880 | | | | |
| 881 | | | | |
| 882 | | | | |
| 883 | | | | |
| 884 | | | | |
| 885 | | | | |
| 886 | | | | |
| 887 | | | | |
| 888 | | | | |
| 889 | | | | |
| 890 | | | | |
| 891 | | | | |
| 892 | | | | |
| 893 | | | | |
| 894 | | | | |
| 895 | | | | |
| 896 | | | | |
| 897 | | | | |
| 898 | | | | |
| 899 | | | | |
| 900 | | | | |
| 901 | | | | |
| 902 | | | | |
| 903 | | | | |
| 904 | | | | |
| 905 | | | | |
| 906 | | | | |
| 907 | | | | |
| 908 | | | | |
| 909 | | | | |
| 910 | | | | |
| 911 | | | | |
| 912 | | | | |
| 913 | | | | |
| 914 | | | | |
| 915 | | | | |
| 916 | | | | |
| 917 | | | | |
| 918 | | | | |
| 919 | | | | |
| 920 | | | | |
| 921 | | | | |
| 922 | | | | |
| 923 | | | | |
| 924 | | | | |
| 925 | | | | |
| 926 | | | | |
| 927 | | | | |
| 928 | | | | |
| 929 | | | | |
| 930 | | | | |
| 931 | | | | |
| 932 | | | | |
| 933 | | | | |
| 934 | | | | |
| 935 | | | | |
| 936 | | | | |
| 937 | | | | |
| 938 | | | | |
| 939 | | | | |
| 940 | | | | |
| 941 | | | | |
| 942 | | | | |
| 943 | | | | |
| 944 | | | | |
| 945 | | | | |
| 946 | | | | |
| 947 | | | | |
| 948 | | | | |
| 949 | | | | |
| 950 | | | | |
| 951 | | | | |
| 952 | | | | |
| 953 | | | | |
| 954 | | | | |
| 955 | | | | |
| 956 | | | | |
| 957 | | | | |
| 958 | | | | |
| 959 | | | | |
| 960 | | | | |
| 961 | | | | |
| 962 | | | | |
| 963 | | | | |
| 964 | | | | |
| 965 | | | | |
| 966 | | | | |
| 967 | | | | |
| 968 | | | | |
| 969 | | | | |
| 970 | | | | |
| 971 | | | | |
| 972 | | | | |
| 973 | | | | |
| 974 | | | | |
| 975 | | | | |
| 976 | | | | |
| 977 | | | | |
| 978 | | | | |
| 979 | | | | |
| 980 | | | | |
| 981 | | | | |
| 982 | | | | |
| 983 | | | | |
| 984 | | | | |
| 985 | | | | |
| 986 | | | | |
| 987 | | | | |
| 988 | | | | |
| 989 | | | | |
| 990 | | | | |
| 991 | | | | |
| 992 | | | | |
| 993 | | | | |
| 994 | | | | |
| 995 | | | | |
| 996 | | | | |
| 997 | | | | |
| 998 | | | | |
| 999 | | | | |
| 1000 | | | | |

(हस्ताक्षरी प्रस्तुत)
(हस्ताक्षरी प्रस्तुत)

(14)

In pursuance of the provisions of clause (3) of articles 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1493 Dehradun, dated: 15/12/2021 for general information.

**Government of Uttarakhand**
**Agriculture and Farmers Welfare Section-1**
**Number-1493 / XIII-1/2021-03(14)2021**
**Dehradun Dated 10 December , 2021**
**Notification**
**Miscellaneous**

In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Agriculture Group "B" Service Rules, 1995 (Adaptation and Modification order, 2002), namely :-

**The Uttarakhand Agriculture Group "B" Service (Amendment) Rules, 2021**

**Short titles and commencement** 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Agricultural Group 'B' Service (Amendment) Rules, 2021

(2) It shall come into force at once.

**Amendment of rule 4** 2. In the Uttar Pradesh Agricultural service Group 'B' Service Rules, 1995 (Adaptation and Modification order, 2002), (herein after referred to as the principal rules) for existing sub rule (2) and (3) of rule 4 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted , namely:-

| Column-1 Existing sub-rules | Column-2 sub-rule as hereby substituted |
|---|---|
| (2) The strength of service and number of post for plain area cadre shall be according to annexure A and for hilly sub cadre according to annexure B, until order varying the same are passed under sub rule (1): | (2) The Strength of service and number of post Agriculture service class-2 Group-B Agriculture Development branch there in shall be according to Annexure A until order varying the same are passed under sub rule (1). |
| Provided that | provided that |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (तक. सम्प्रे.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| | ...ppointing Authority may leave ...d or the Government may hold in ...ance any vacant post without there by ...ing any person for compensation" or | (a) The Appointing Authority may leave unfilled or the Government may hold in abeyance any vacant post without there by entitling any person for compensation, or |
| | The Government may create such ...itional permanent or temporary post as ...may consider proper. | (b) The Government may create such additional permanent or temporary post as he may consider proper. |
| | Cadre of service- Various posts in the ...rvice will be divided into sections, as ...own in appendix 'A' and 'B'. | (3) The number of posts and designations under agriculture service Group 'B' agriculture development Branch shall be as per Appendix 'A'. |
| Amendment of Rule 5 | 3. In the Principal rule for existing rule 5 as set out in column-1 below, the rule as set out in column -2 shall be substituted , namely :- | |
| Column-1 Existing rules | | Column-2 Rule as hereby substituted |
| 5. Recruitment to various categories of posts in the service will be done from the sources specified before them in Appendix "A" and Appendix "B". | | 5. Recruitment to the posts of Agriculture Service Group "B" Agriculture Development Branch shall be done from the sources specified before them in Appendix 'A'. |
| Amendment of Rule 8 | 4. In the Principal rule for existing rule 8 as set out in column-1 below , the rule as set out in column -2 shall be substituted , namely :- | |
| Column-1 Existing rules | | Column-2 Rule as hereby substituted |
| 8 For direct recruitment to various posts in the service, the candidate should have educational qualifications displayed in front of the posts in Appendix "A" and Appendix "B". | | 8 For direct recruitment to various posts in Agricultural Services Group "B" Agriculture Development branch, the candidate should have educational qualifications displayed in front of the |

| | | |
|---|---|---|
| Amendment of Rule 14 | 5. | In the Principal rule for existing rule 14 as set out in column-1 below , the rule as set out in column -2 shall be substituted , namely :- |

| Column-1<br>Existing rule | Column-2<br>Rule as hereby substituted |
|---|---|
| 14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies section wise to be filled the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Schedules Tribes, Other Backward Castes and other categories Rules 6 and shall intimates it to commission. | 14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled in the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Castes Economical weaker section and other categories under rule 6 and shall intimate it to commission. |

| | | |
|---|---|---|
| **Amendment of Rule 15** | 6. | In the Principal rule for existing sub rule (3) and (4) of rule 15 as set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column -2 shall be substituted , namely :- |

| Column-1<br>Existing sub-rules | Column-2<br>Sub-rules as hereby substituted |
|---|---|
| (3) After the result of the written examination have been received and tabulated the commission shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Categories under rule 6 shall call for interview such number of candidates who have reached the level prescribed by the Commission in this regard on the basis of the result of the written examination. | (3) After the result of the written examination have been received and tabulated the commission shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section and Other Categories under rule 6 shall call for interview such number of candidates who have reached the level prescribed by the Commission in this regard on the basis of the result of the written examination. |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सक. राम्पे.)
लोक सूचना
कृषि

| | | |
|---|---|---|
| | | (4) The Commission shall prepare a list of candidates in their proficiency order as appeared in the written examination and interview from the marks obtained by each candidate in the sum and recommend the number of candidates as he considers fit for appointment. If two or more candidates score equally in Yoga, the name of the candidate who has scored more marks in the written test will be placed at the higher position in the list. The number of names in the list will be more than the number of vacancies (but not more than twenty-five per cent). The Commission will forward the section-wise list to appointing authority. | interview shall be added to the marks obtained by him in the written test.<br><br>(4) The Commission shall prepare a list of candidates in their proficiency order as appeared in the aggregate marks obtained by each candidate in the written examination and interview and recommend such number of candidates as he considers suitable for appointment. If two or more candidates obtain equal marks with summation, the name of the candidate who has obtained more marks in the written examination shall be placed at the higher position in the list. The number of names in the list shall be more than the number of vacancies but not more than twenty-five per cent. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority. |
| **Amendment of Rule 17** | 7. | In the Principal rule for existing rule 17 as set out in column-1 below , the rule as set out in column -2 shall be substituted , namely :- | |
| | | Column-1 | Column-2 |
| | | Existing rule | Rule as hereby substituted |
| | | 17. If appointments are made in a year of recruitment by both direct recruitment and promotion, a joint selection list in respect of the concerned section, the names of the candidates from the relevant lists shall be prepared in such a way that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list will be that of the person | 17. If appointments are made by both direct recruitment and promotion in a year of recruitment, a joint selection list shall be prepared in respect of the posts and the names of the candidates shall be prepared in such a way that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list shall be that of the person appointed by promotion. |

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (राज. सम्पे.)

...ciated by promotion. ''

| | | |
|---|---|---|
| Amendment of Rule 21 | 8. | In the Principal rule for existing rule 21 as set out in column-1 below , the rule as set out in column -2 shall be substituted , namely :- |

| Column-1 | Column-2 |
|---|---|
| Existing rule | Rule as hereby substituted |
| 21. The seniority of persons fundamentally appointed to any category of posts will be determined as per the Uttar Pradesh Government Servant Seniority Rules, 1991 as amended from time to time. | 21. The seniority of persons substantively appointed to the posts of Agricultural service Group "B" Agricultural development branch shall be determined as per Uttarakhand Government Servant Seniority Rules, 2002 as amended from time to time. |

| | | |
|---|---|---|
| Amendment of Rule 22 | 9. | In the Principal rule for existing sub rule (2) of rule 22 as set out in column-1 below , the rule as set out in column - 2 shall be substituted , namely :- |

| Column-1 | Column-2 |
|---|---|
| Existing sub rule | sub-rule as hereby substituted |
| (2) The pay scales at the time of commencement of these Rules are given in appendix "A" and appendix "B". | (2) The pay scales of Agricultural Services Group 'B' Agricultural development Branch at the time of commencement of the Rules are given in Appendix "A". |

| | | |
|---|---|---|
| Amendment of Annexure | 10. | In the Principal rule Appendix "A" and "B" shall be substituted by the appendix attached to this amendment rules. |

By order,

(R. Meenakshi Sundaram)
Secretary.

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (सक. सम्बं.)
लोक सूचना अधिकारी
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून.